REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112020-223257 CG-DL-E-23112020-223257

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/अग्रहायण 2, 1942No. 333]NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एसएसआर-06/2020

विषय : चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलिस्टर के पूर्ण रूप से निकाले गए अथवा पूर्ण रूप से उन्मुख यार्न / स्पिन ड्रान यार्न / फ्लैट यार्न के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 7/9/2020-डीजीटीआर .—क. पृष्ठभूमि:

 समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम'' कहा गया है) और समय-समय यथा संशोधित उसकी सीमा शुल्क टैरिफ, (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे ''नियमावली'' कहा गया है) पर विचार करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे ''प्राधिकारी'' कहा गया है) ने दिनांक 6 मई, 2008 को चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलिस्टर के पूर्ण रूप से निकाले गए अथवा पूर्ण रूप से उन्मुख यार्न / स्पिन ड्रान यार्न / फ्लैट यार्न (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' अथवा ''पी यू सी'' कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच शुरू किया था। प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्कों (ए डी डी) की सिफारिश दिनांक 23 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 14/3/2008-डीजीएडी के द्वारा की गई थी और उसे दिनांक 26 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 29/2009-सीमा शुल्क (ए डी डी) के द्वारा लगाया गया था। उसके

5682 GI/2020

बाद, चीन जन. गण. और थाईलैंड पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश दिनांक 29 सितंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/3/2008-डीजीएडी के द्वारा लगाये जाने की सिफारिश की गई थी और उसे दिनांक 11 नवंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 124/2009- सीमा शुल्क (ए डी डी) के द्वारा लगाया गया था। एक निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) जांच दिनांक 24 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. 15/03:2014- डीजीएडी के माध्यम से शुरू की गई थी । पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार की सिफारिश दिनांक 22 सितंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 15/03/2014 –डीजीएडी के माध्यम से की गई थी और उसे दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 51/2015- सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था।

- जबकि इस अधिनियम और नियमावली के संबंध में, लगाये गए पाटनरोधी शुल्क को अगर पूर्व में समाप्त नहीं किया गया तो तब वह इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा।
- 3. और उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस शुल्क के समाप्त होने की तिथि उचित समय अवधि के भीतर घरेलू उद्योग की ओर से अथवा उसके द्वारा किये गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के संभवत: पाटन और क्षति जारी रहेगी अथवा फिर से होगी।
- 4. और जबकि उपर्युक्त प्रावधानों के संबंध में, सिंथेटिक फाइबर उद्योग संघ (जिसे आगे ''आवेदक'' अथवा ''घरेलू उद्योग'' भी कहा गया है) ने इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरूद्ध एक निर्णायक समीक्षा जांच को आरंभ करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार के लिए अनुरोध किया है। यह अनुरोध इन आधारों पर किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध देशों के आयातों के विरूद्ध एक निर्णायक समीक्षा जांच को आरंभ करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार के लिए अनुरोध किया है। यह अनुरोध इन आधारों पर किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बावजूद पाटन जारी रहा है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन के कारण क्षति उठानी पड़ रही है। इसके अलावा, आवेदक ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों के विरूद्ध इस शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- 5. जबकि प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य की जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, इस नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार, संबद्ध जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 15 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सं. 7/9/2020-डीजीटीआर के द्वारा आम सूचना जारी की ।
- संबद्ध जांच के आरंभ किए जाने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा 30 नवंबर, 2020 तक संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार करते हुए दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 की अपनी अधिसूचना सं. 32/2020 – सीमा शुल्क (ए डी डी) जारी की गई।
- वर्तमान समीक्षा का दायरा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पूर्व में किए गए जांचों के सभी पहलुओं को शामिल करता है।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

- 8. प्राधिकारी द्वारा इस संबद्ध जांच के संबंध में इसमें नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-
 - प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपनियम 5(5) के अनुसार इन जांचों को शुरू करने की कार्रवाई करने से पूर्व वर्तमान आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 15 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना जारी की।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों
 / प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे इस

नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें।

- iv. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और संबद्ध देश के दूतावासों को इस आवेदन की और गोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध करायी।
- v. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों जिनका ब्यौरा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था, को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।
 - क. मै० झेजियांग टांगकुन, चीन जन. गण.;
 - ख. मै० झेजियांग यीफेंग, चीन जन. गण.;
 - ग. मै० जियांग्सु शेनडांग, चीन जन. गण.;
 - घ. मै० झेजियांग जिनफेंगमिंग, चीन जन. गण.;
 - ड. मै० रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप कं. लि०, चीन जन. गण.;
 - च. मै० जियांग्सु हेंगली, चीन जन. गण.;
 - छ. मै० झेजियांग रोंगशेंग (फोरमर किफु), चीन जन. गण.;
 - ज. मै० झेजियांग गुक्सीयांग्दाओ, चीन जन. गण.;
 - झ. मै० जियांग्सु (ताइकांग) मिंघुई, चीन जन. गण.;
 - ञ. मै० जियांग्सु हेक्सिन ग्रुप, चीन जन. गण.;
 - ट. मै० झेजियांग ग्रेट साउथईस्ट ग्रुप, चीन जन. गण.;
 - ठ. मै० झेजियांग जियाबाओ न्यू फाइबर, चीन जन. गण.;
 - ड. मै० झेजियांग युआनडांग, चीन जन. गण.;
 - ढ. मै० झेजियांग हेलाइड, चीन जन. गण.;
 - ण. मै० जियांग्सु झेन्हुई (जियांगटांग ग्रुप), चीन जन. गण.;
 - त. मै० यिंग जियांग शेंग्ज, चीन जन. गण.;
 - थ. मै० फुजियान जिनजिंग, चीन जन. गण.;
 - द. मै० हेंग ली पेट्रोकेमिकल, चीन जन. गण.;
 - ध. मै० झेजियांग यूफु न्यू फाइबर्स, चीन जन. गण.;
 - न. मै० फुजियान जिंगवेई, चीन जन. गण.;
 - प. मै० जियांग्सु (ताइकांग) चैंगल, चीन जन. गण.;
 - फ. मै० जियांग्सु (वुजियांग) लिक्सिन, चीन जन. गण.;
 - ब. मै० झेजियांग हुआजिन, चीन जन. गण.;
 - भ. मै० झेजियांग फेंगमिंग ग्रुप, चीन जन. गण.;
 - म. मै० फुजियान (चैंगल) शानली, चीन जन. गण.;
 - य. मै० जियांग्सु (वुजियांग) जिनमिन, चीन जन. गण.;
 - कक. मै० तियान लांग ग्रुप, चीन जन. गण.;

- खख. मै० झेजियांग जिनजिन, चीन जन. गण.;
- गग. मै० जियांग्सु फुडोंग (जिनशेंग, चीन जन. गण.;
- घघ. मै० झेंगडांग टेक्सटाइल, चीन जन. गण.;
- डड. मै० झेजियांग जिनशेंग (वेरी फाइबर) डेवलपमेंट, चीन जन. गण.;
- चच. मै० परफारमेंस फाइबर्स एशिया (इंडोरामा), हांगकांग
- छछ. मै० झेजियांग जियुहुआ न्यू सिंथेटिक, चीन जन. गण.;
- जज. मै० फार ईस्टर्न पुडोंग, चीन जन. गण.;
- झझ. मै० झेजियांग शेंनबैंग, चीन जन. गण.;
- ञञ. मै० वुक्सी जिनीयुआन सिंथेटिक फाइबर, चीन जन. गण.;
- टट. मै० झोऊशान तियान्ली, चीन जन. गण.;
- ठठ. मै० हांगझोऊ हुआचुन, चीन जन. गण.;
- डड. मै० तियानजिन पेट्रोकेमिकल, चीन जन. गण.;
- ढढ. मै० डापू केमिकल फाइबर्स, चीन जन. गण.;
- णण. मै० हेनान जिंग ये, चीन जन. गण.;
- तत. मै० झेजियांग जियानजी, चीन जन. गण.;
- थथ. मै० वुक्सी जिनफेंग, चीन जन. गण.;
- दद. मै० चैंगल जिनफेंग, चीन जन. गण.;
- धध. मै० चैंगल होंगजी, चीन जन. गण.;
- नन. मै० वुक्सी जिन्टोंग, चीन जन. गण.;
- पप. मै० थाई पोलिस्टर (टी पी सी), थाईलैंड;
- फफ. मै० सनफ्लैग, थाईलैंड;
- बब. मै० कांगवाल, थाईलैंड;
- भभ. मै० इंडोरामा पोलिस्टर इंडस्ट्रीज, थाईलैंड;
- मम. मै० इंडो पोली (थाईलैंड), थाईलैंड;
- यय. मै० ओरिएंटल फाइबर, थाईलैंड;
- ककक. मै० तीजिन थाईलैंड (टी जे टी), थाईलैंड;
- खखख. मै० थाई टोरे सिंथेटिक्स (टी टी एस) [टी एन टी], थाईलैंड;
- गगग. मै० चीम पताना, थाईलैंड;
- घघघ. मै० स्टारसोलील, थाईलैंड;
- vi भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने संबंधित संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। इन उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी।

- vii. थाइलैंड के निम्नलिखित उत्पादक / निर्यातक ने अनुरोध प्रस्तुत किया है, परंतु यह कहते हुए निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है कि जांच की अवधि के दौरान इसने भारत को बहुत कम मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था।
 - क. मै० इंडोराम पोलिस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लि०, थाईलैंड;
- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संघों जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे, को जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोणों से अवगत करायें:
 - क. मै० टिटानियम टेन इंटरप्राइज लि०;
 - ख. मै० वर्धमान यार्न्स एंड थ्रेड्स लि०;
 - ग. मै० आयुष टेक्सलीन लि०;
 - घ. मै० एक्सपोर्ट पैकेजिंग सल्यूशन;
 - ड. मै० आर डी जैकटेक्स इंडिया;
 - च. मै० शाबनाम पेट्रोफिल्स प्रा० लि०;
 - छ. मै० चंडाक एक्सपो इंटरनेशनल;
 - ज. मै० अरविन्द लि०;
 - झ. मै० जनरल पेट्रोकेमिकल्स लि०;
 - ञ. मै० पियुंग ह्वा इंडिया प्रा० लि०;
 - ट. मै० प्रिया यार्न्स;
 - ठ. मै० साक्षी यार्न्स प्रा० लि०;
 - ड. मै० खुराना टेक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०;
 - ढ. मै० सुयोग सिंथेटिक्स;
 - ण. मै० निकुंज इंडस्ट्रीज;
 - त. मै० जय श्री थ्रेड्स प्रा० लि०;
 - थ. मै० श्री राम सिंथेटिक्स;
 - द. मै० सुनील फाइबर्स प्रा० लि०;
 - ध. मै० बी. ब्रॉन मेडिकल (इंडिया) प्रा० लि०;
 - न. मै० आर्यन इंटरप्राइजेस;
 - प. मै० पोलिगेन्टा टेक्नोलॉजीज लि०;
 - फ. मै० स्ट्राटा एक्जिम प्रा० लि०;
 - ब. मै० तुलसी उद्योग;
 - भ. मै० पी टी वर्गीज एंड कंपनी;
 - म. मै० चीनूभाई कालीदास एंड ब्रॉस.;
 - य. मै० ग्रॉसवर्ल्ड फ्रेट सिस्टम्स प्रा० लि०;
 - कक. मैं पी वी जॉर्ज थाराकान एंड कंपनी;

- खख. मै० गोयल कारगो सर्विसेज;
- गग. मै० खिमजी पूंजा फ्रेट फारवर्डर्स प्रा०;
- घघ. मै० निरंजन शिपिंग एजेंसी प्रा० लि०;
- डड. मै० आलविन शिपिंग सर्विसेज;
- चच. मै० सरस्वती क्लीरिंग एजेंसी;
- छछ. मै० एएसआर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्रा० लि०;
- जज. मै० नेशनल क्लीरिंग फारवर्डिंग एजेंसी;
- झझ. मै० मॉडर्न क्लीरिंग एजेंसी;
- ञञ. मै० ओम नम: शिवाय लॉजिटिक्स इंटरनेशनल प्रा० लि०;
- टट. मै० दिव्या शिपिंग एंड क्लीरिंग सर्विसेज प्रा० लि०;
- ठठ. मै० आरके कारगो सर्विसेज;
- डड. मै० सेंट जॉन फ्रेट सिस्टम्स लि०;
- ढढ. मै० ग्रीनीटी लॉजिटिक्स प्रा० लि०;
- णण. मै० ग्लोबल ओसीन क्लीरिंग प्रा० लि०;
- तत. मै० रत्नाकर रामनारायन राय;
- थथ. मै० फ्रांटियर शिपिंग एजेंसीज प्रा० लि०;
- दद. मै० श्री विनायक इंटरप्राइजेस;
- धध. मै० ओम फेट फारवर्डर्स प्रा० लि०;
- नन. मै० क्लिक निक्सॉन लि०;
- पप. मै० शिवम सीटरन्स प्रा० लि०;
- फफ. मै० रश्मि शिपिंग एजेंसी;
- बब. मै० एयरसी फारवर्डर्स इंडिया प्रा० लि०;
- भभ. मै० अल्टीमेट मरीन प्रा० लि०;
- मम. मैं श्री गणेश फारवर्डर्स प्रा० लि०;
- यय. मैं भगवती इम्पेक्स;
- ककक. मै० गौरव एम. झावेरी;
- खखख. मै० थ्री एसेज ग्लोबल लॉजिटिक्स प्रा०;
- गगग. मै० रैंग लॉजिटिक्स प्रा० लि०;
- घघघ. मै० वैद इंटरनेशनल सर्विसेज;
- ड.ड.ड. मै० कारगो कन्सेप्ट्स (बॉम्बे) प्रा० लि०;
- ix. इस उत्पाद के किसी भी आयातक अथवा उपभोक्ता ने निर्धारित प्रपत्र में आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- x. इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा अनुरोध / टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थीं।
 - क. सनहेरी टेक्सक्रैफ्ट प्रा० लि०

- xi. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।
- xii. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (12 महीने) माना गया है। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017; 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018; 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है। प्राधिकारी ने पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच और क्षति के विश्लेषण के उद्देश्यों से जांच की अवधि की बाद की अवधि के रूप में 1 जनवरी, 2020 – 30 जून, 2020 माना है।
- xiii. अतिरिक्त / पूरक सूचना आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया। घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों / उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे इस जांच के उद्देश्य से आवश्यक माना गया।
- xiv. क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा इस नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत और उसका निर्माण करने और बिक्री करने पर आधारित है। यह उस प्रकार से तय किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xv. पिछले तीन वर्षों के लिए तथा जांच की अवधि के लिए लेनदेनवार आधार पर वाणिज्यिक सूचना एंव सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना को भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए लिया गया है।
- xvi. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को लिखित अनुरोधों तथा उसके बाद प्रति उत्तरों, यदि कोई हों, को प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया गया था।
- xvii. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा जहां भी उन्हें संगत पाया गया, इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है।
- xviii. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां कहीं भी आवश्यक पाया गया, स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।
- xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना की जानकारी दिए जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचायी है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को अहसयोगी के रूप में माना है और इन अंतिम जांच परिणामों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड किया है।
- xx. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 7 नवंबर, 2020 के प्रकटन विवरण और उस पर प्राप्त टिप्पणियों जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उसका समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोध की पुनरावृत्ति है। हालांकि प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक की गई है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया।

- xxi. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस तरह की मानी गई सूचना का द्योतक है।
- xxii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान ली गई विनिमय दर यूएस डॉलर 1 = 71.34 रूपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

9 विचाराधीन उत्पाद जैसा कि मूल जांच और प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में है, सीमा शुल्क शीर्ष 5402.47 के टैरिफ विवरण के अनुरूप पोलिस्टर का पूर्ण रूप से निकाले गए / पूर्ण रूप से उन्मुख यार्न / स्पिन ड्रान यार्न / फ्लैट यार्न [नान टेक्सचर्ड और गैर आंशिक रूप से उन्मुख यार्न) (पी ओ वाई)] और यार्न हैं। बाजार की बातचीत में इस उत्पाद को सामान्य रूप से ''पूर्ण रूप से निकाले गए यार्न'' अथवा एफ डी वाई के रूप में जाना जाता है। संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशन को उनकी डिनायस, समानता, चमक, रंगों (जैसे सेमी दर, ब्राइट, सुपर ब्राइट, फुल डल, डोप डाइड), क्रास सेक्शन और सिकुड़न के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।

ग.1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
 - i. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। अत: विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जिसे मूल तथा पूर्व में की गई निर्णायक समीक्षा जांच में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई है। इस कारण से घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में पूर्व की जांच का हवाला देता है और उस पर विश्वास करता है।
 - ii. याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन किए गए संबद्ध वस्तुओं और उन वस्तुओं जिनका निर्यात संबद्ध देशों से किया गया है, में कोई अधिक अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा दोनों समान वस्तुएं हैं।
 - iii. याचिकाकर्ता कंपनियां इन संबद्ध वस्तुओं के सभी रूपों के उत्पादन में लगी हुई हैं और वे डिनायस, चमक, रंग और क्रास सेक्शन की व्यापक सीमा में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम हैं।
 - iv. घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों में निर्माताओं द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी की तुलना संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से की जा सकती है। हालांकि प्रत्येक निर्माता आवश्यकताओं और सुविधाओं के आधार पर अपने उत्पादन की प्रक्रिया को परिष्कृत करता है।
 - v. आवेदक ने यह स्वीकार किया है कि भारत में घरेलू उत्पादक कम गलन यार्न का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और आवेदक को उसे बाहर किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं, बशर्ते यह सुनिश्चित करने के लिए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो कि इसके फलस्वरूप अन्य उत्पादों जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं, पर पाटनरोधी शुल्क से नहीं बचा जा सके। कम गलन यार्न को उस यार्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गलन बिंदु हो।
 - vi एल वाई सी आर ए को आपस में मिला दिया जाता है, आंशिक रूप से उन्मुख यार्न, औद्योगिक यार्न, द्विसंघटक यार्न, पोलिस्टर स्पन यार्न, पी एफ वाई, पोलिस्टर टेक्सचर्ड यार्न, कम गलन, चेनीले, नायलान, स्पेंडेक्स पी बी टी और कोर्ड पर विचार विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में नहीं किया गया है। वे या तो एफ डी वाई के रूप में हैं अथवा उसी एस एस कोड के अंतर्गत आते हैं

ग.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. एक विशेष एफ डी वाई है जिसमें एफ डी वाई जो वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद है (230 से 295 डिग्री) की तुलना में कम गलन बिंदु (100 डिग्री अथवा उससे भी कम) का विशेष गुण है। विशेष एफ डी वाई का उपयोग जूते के ऊपरी फैब्रिक, लगेज / बेड और परदे का फैब्रिक बनाने में किया जाता है। विशेष एफ डी एफ डी वाई का उत्पादन किसी भी भारतीय निर्माता द्वारा नहीं किया जाता है। एफ डी वाई पर पाटनरोधी शुल्क के कारण, प्रत्येक आयातक कम गलन विशेष एफ डी वाई पर भी पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करता है जो जूते, लगेज और परदे के निर्माण की लागत में जुड़ जाता है।

ग.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

- 12. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को अंतिम जांच परिणाम में नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया था:
 - "3. सीमा शुल्क शीर्ष 5402.47 के शुल्क विवरण के अनुरूप पोलिस्टर का पूर्ण रूप से निकाले गए अथवा पूर्ण रूप से उन्मुख यार्न / स्पिन ड्रान यार्न / फ्लैट यार्न (नान टेक्सचर्ड और गैर- पी ओ वाई) अन्य यार्न"
 - 4. बाजार की व्यापारिक बातचीत में इस उत्पाद को सामान्य तौर पर ''पूर्ण रूप से निकाले गए यार्न'' के रूप में जाना जाता है। संबद्ध वस्तुओं का उपयोग अपैरल / घरेलू वस्त्र और अन्य औद्योगिक वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है।
 - 5. संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशों की परिभाषा उनके डिनायर्स / तनंता, चमक, रंगों (जैसे सेमी दर, ब्राइट, सुपर ब्राइट, फुल डल, डोप डाइड) , क्रास सेक्शन और सिकुड़न के संदर्भ में दी गई है।
 - 6. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग अपैरल / घरेलू वस्त्र के निर्माण के लिए और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
 - 7. यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध वस्तु जिनका भारत में पाटन किया जाता है घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे वस्तुओं के सदृश हैं। पाटित आयातों के या तो तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम उपयोगों तथा घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। अत:, घरेलू उद्योग द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा वर्षा के सदृश हैं। पाटित आयातों के या तो तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम उपयोगों तथा घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। अत:, घरेलू उद्योग द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा वर्षा से स्तु संबद्ध देशों से पाटित वस्तुओं के "समान वस्तु" हैं। पाटित वस्तुओं और आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तु" के रूप से माना वस्तु" के रूप से पाटित "समान वस्तु" के रूप से याणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए।
- 13. प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में था। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। आपस में मिलाये गये गए एल वाई सी आर ए, आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पी ओ वाई), औद्योगिक यार्न (आई डी वाई), द्विसंघटक यार्न (बी सी एफ), पोलिस्टर स्पन यार्न, पी एफ वाई, पोलिस्टर टेक्सचर्ड यार्न (पी टी वाई), कम गलन, चेनीले, नायलॉन, स्पेंडेक्स, पी बी टी और कोर्ड पर विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में नहीं किया गया है।
- 14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादन किये गए संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तु हैं।
- 15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन किए गए संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं में कोई अधिक अंतर नहीं है। और यह कि ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- 16. चूंकि कम गलन गलाया हुआ यार्न अर्थात एफडीवाई 110 सेंटीग्रेड से 170 सेंटीग्रेड वाले एफ डी वाई का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है, अत: इसे वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद से बाहर किया जाता है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

17. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

''(ख)घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

घ.1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 18. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :
 - i. वर्तमान याचिका सिंथेटिक फाइबर उद्योग संघ द्वारा इसके सदस्यों की ओर से दायर की गई है। इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और वेलनोन पोलिस्टर लि० ने वर्तमान याचिका के उद्देश्य लागत और क्षति संबंधी अपने पूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। इसके अलावा, इस याचिका का समर्थन निम्नलिखित उत्पादकों द्वारा किया गया है:
 - क. आलोक इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
 - ख. भिलोसा इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
 - ग. फिलाटेक्स इंडिया लि०
 - घ. गार्डेन सिल्क मिल्स लि०
 - ड. गोकुलानंद पेट्रोफाइबर्स गुजरात
 - च. सनातन टेक्सटाइल्स प्रा० लि०
 - छ. श्री दुर्गा सिंटेक्स प्रा० लि०
 - कुल मिलाकर भारत में संबद्ध वस्तुओं के 26 उत्पादक हैं। इनके अलावा, कुछ अन्य छोटे-छोटे उत्पादक हैं जिनका कुल भारतीय क्षमता में कुल मिलाकर 1 प्रतिशत होता है।
 - iii. पहचान किए गए 26 उत्पादकों के बीच भी, अधिकांश उत्पादकों के पास बहुत कम क्षमताएं हैं और वे उन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 5 प्रतिशत मात्र अथवा उससे कम है। याचिकाकर्ता कंपनियों के अलावा, बहुत अधिक उत्पादन वाले उत्पादक भिलोसा इंडस्ट्रीज प्रा० लि० और फिलाटेक्स इंडिया लि० है जिसने वास्तव में भिलोसा अपने उत्पादन का 50-60 प्रतिशत गुप्त रूप से खपत करता है।
 - iv. याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और वेलनोन पोलिस्टर लि० का कुल घरेलू उत्पादन का *** प्रतिशत और समर्थकों के साथ कुल घरेलू उत्पादन का 81.13 प्रतिशत है। इसके अलावा, यदि विभिन्न उत्पादकों द्वारा गुप्त खपत को बाहर रखा जाता है तब, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और वेलनोन पोलिस्टर लि० के हिस्से में और अधिक वृद्धि होगी। अद्यति जांच की अवधि में भी याचिकाकर्ता कंपनियों का बहुत बड़ा हिस्सा है।
 - v. उपर्युक्त कानूनी स्थिति में भेदभाव किये बिना है कि किसी निर्णायक समीक्षा के मामले में स्थिति का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। नियम 23 के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा के लिए आधार लागू नहीं है। हालांकि तब भी, याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक और ये उत्पादक जो खुल कर याचिकाकर्ता का समर्थन कर रहे हैं, का कुल घरेलू उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक है।
 - vi याचिकाकर्ता कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।
 - vii. याचिकाकर्ता कंपनियां संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है।
 - viii. मै० आलोक इंडस्ट्रीज और मै० गार्डेन सिल्क लि० द्वारा भाग नहीं लिया जाना संगत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता घरेलू कंपनियां बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं और क्षति का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता है। आवेदक आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराने के लिए अन्य उत्पादकों हेतु कारण नहीं दे सकते हैं।
 - ix. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० सितंबर, 2020 में मै० आलोक इंडस्ट्रीज लि० का अधिग्रहण किया है और उनके बीच कोई भी संबंध जांच की अवधि के दौरान नहीं था।
 - x. उन उत्पादकों जिनका कार्य निष्पादन अच्छा है, का अपवर्जन नहीं किया गया है, क्योंकि मै० आलोक इंडस्ट्रीज लि० और मै० गार्डेन सिल्क लि० को घाटा हुआ है जबकि याचिकाकर्ता कंपनियां कार्य निष्पादन में सुधार दर्शाती हैं।

xi. जब निर्यातक ने स्वयं निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है तब इसे यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि समर्थकों ने निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

घ.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 19. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :
 - i. वर्तमान जांच के लिए, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग में रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और वेलनोन पोलिस्टर लि० हैं। उसी विचाराधीन उत्पाद के पूर्व के निर्णायक समीक्षा के दिनांक 22 सितंबर, 2015 के अंतिम जांच परिणामों में, याचिकाकर्ताओं जिसमें आलेाक इंडस्ट्रीज लि० और मै० गार्डेन सिल्क लि० के साथ-साथ वर्तमान याचिकाकर्ता कंपनियां भी शामिल थीं, के कुल हिस्से का निर्धारण 52 प्रतिशत के रूप में किया गया था। हालांकि रिलायंस लि० और वेलनोन पोलिस्टर लि० का मिश्रित हिस्सा केवल 30 प्रतिशत होना निर्धारित किया गया था। यह भी नोट किया जाना है कि भारतीय उत्पादन के विवरण के अनुसार, घरेलू उद्योग के हिस्से का प्रतिशत अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017 में 100 सूचकांक से गिरकर जांच की अवधि के दौरान 92 सूचकांक हो गया है। उपर्युक्त से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग के हिस्से में 30 प्रतिशत से कम तक भी गिरावट आई है। इस कारण से, यह अनुरोध किया जाता है कि भारतीय उत्पादन में 30 प्रतिशत से कम हिस्सा को एक बड़े हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है।
 - ii. वर्तमान जांच में मै० आलोक इंडस्ट्रीज लि० और मै० गार्डेन सिल्क लि० को घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि वे उसी विचाराधीन उत्पाद के लिए पिछले निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग थे। उनके कार्य निष्पादन के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों के कार्य निष्पादन की उचित तुलना करना भी संभव है जैसे ही इन दो घरेलू उत्पादकों पर घरेलू उद्योग के रूप में भी विचार किया जाता है।
 - iii. प्राधिकारी को इसे अन्य प्रकार से मानदंड बन जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रत्येक निर्णायक समीक्षा में केवल घरेलू उत्पादक जिनका तुलनात्मक रूप से कम प्रदर्शन रहा है, को घरेलू उद्योग बनाया जाएगा और अन्य घरेलू उत्पादक जो मूल अथवा पिछले निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग थे, को बाहर रखा जाएगा क्योंकि उनके कार्य निष्पादन में सुधार हुआ होता।
 - iv. समर्थन तथ्यों के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए अनुबंध-I में, न तो मै० आलोक इंडस्ट्रीज लि० और न ही मै० गार्डेन सिल्क लि० ने कोई कारण तब उपलब्ध कराया है जब उन्हें विशिष्ट रूप से किसी याचिका का समर्थन करने और वर्तमान मामले में सहयाचिकाकर्ता नही बन जाने के लिए कारण का उल्लेख करने के लिए कहा गया था।
 - v. फरवरी, 2020 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और मै० आलोक इंडस्ट्रीज लि० ने 37.7 प्रतिशत स्टेक अर्जित किया। यह संदेह उत्पन्न करता है कि क्योंकि मै० आलोक इंडस्ट्रीज लि० ने पूरा आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है और वह तब सहयाचिकाकर्ता नहीं बन पाया है तब रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और आलोक इंडस्ट्रीज लि० संबंधित प्रतिष्ठान हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास मै० आलोक में बहुत अधिक हिस्सा है।
 - vi यदि 30 प्रतिशत से कम का भी न्यूनतम हिस्से पर ''बड़े हिस्से के रूप में विचार किया जाता है तब यह घरेलू उद्योग की संभावना के विश्लेषण को नुकसान पहुंचाएगा।
 - vii. अपूर्ण सूचना समर्थकों द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस याचिका में आवेदक द्वारा समर्थकों की निर्धारित सूचना प्रस्तुत नहीं करना व्यापार नोटिसों का गंभीर उल्लंघन है।
 - viii. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का 26 उत्पादक हैं। हालांकि इस आंकड़े का स्रोत नहीं बताया गया है। इस कारण से, इस आंकड़े की सत्यापन योग्य स्रोत और सटीकता के न होने पर उसे प्राधिकारी द्वारा नहीं माना जाना चाहिए।

घ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

- 20. वर्तमान मामले में यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से सिंथेटिक फाइबर उद्योग संघ (एएसएफआई) द्वारा दायर किया गया है। सिंथेटिक फाइबर उद्योग संघ के निम्नलिखित सदस्यों (जिसे आगे ''याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक'' के रूप में कहा गया है) ने अपनी पूर्ण लागत सूचना उपलब्ध करायी है।
 - i. मै० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०
 - ii. मै० वेलनोन पोलिस्टर्स लि०
- 21. दो कंपनियों जिन्होंने अपने लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं, के अलावा, आवेदक ने तीन कंपनियों जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है और अन्य 22 कंपनियों जिन्होंने आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही उसे अस्वीकार किया है, की एक सूची उपलब्ध करायी है। दिनांक 4 मार्च, 2020 के पत्र के माध्यम से, प्राधिकारी ने इन 22 कंपनियों से अनुरोध किया कि वे अपने दृष्टिकोणों के बारे में सूचना दें। इसके उत्तर में, इन 22 कंपनियों में से चार कंपनियों ने इस आवेदन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
- 22. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, याचिकाकार्ता घरेलू उत्पादकों का उत्पादन समान वस्तु की कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात होता है। इस कारण से प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से पात्र घरेलू उद्योग के रूप में है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 23. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है :
 - मै० आलोक इंडस्ट्रीज लि० और मै० गार्डेन सिल्क लि० के संबंधित सूचना व्यापार प्रोपाइटरी सूचना है,
 जो आवेदक प्रकट नहीं कर सकते हैं।
 - ii. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत, कमर्चारियों की संख्या, वेलनोन पोलिस्टर लि० की उत्पादकता और वित्तीय विवरण प्रोपाइटरी सूचना है।
 - iii. वुड मैकेंजी और सी सी एफ ग्रुप की रिपोर्ट बाजार अनुसंधान एजेंसियों का प्रोपाइटरी दस्तावेज है और आवेदक के पास उसे साझा करने का कोई अधिकार नहीं है।
 - iv. मानदंडों की प्रवृत्तियां घरेलू उद्योग के लिए और न कि अलग-अलग उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
 - v. घरेलू उद्योग ने इसके द्वारा किए गए गोपनीयता के प्रत्येक दावे को सही ठहराया है।

ड.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :
 - i. घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन को बताया नहीं गया है और घरेलू उद्योग के हिस्से के प्रतिशत को भी एक प्रवृत्ति के रूप में ही उपलब्ध कराया गया है।
 - ii. आवेदक ने निर्यात कीमत की गणना करने के लिए किए गए समायोजनों के वास्ते कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
 - iii. थाईलैंड से समुद्री भाड़े को उसके समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराये बिना 4280 रूपए प्रति मी. टन के रूप में एकतरफा दर्शाया गया है।
 - iv. घरेलू उद्योग ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुबंध-I का अनुपालन नहीं किया है।
 - v. आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि आंकड़ों का स्रोत दिसंबर, 2019 की वुड मैकेंजी रिपोर्ट है। हालांकि आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई पद्धति उपलब्ध नहीं करायी गई है कि किस आधार पर ऐसे आंकड़ों का संकलन और उपयोग किया गया था। यदि यह मान भी लिया जाता है कि आवेदक इस रिपोर्ट के संदर्भ में

गोपनीयता का दावा कर रहे हैं तब भी आवेदक को अनुक्रमित संख्याओं में आंकड़े उपलब्ध कराना चाहिए था। आवेदक ने सी सी एफ ग्रुप की रिपोर्ट पर भी विश्वास नहीं किया है। आवेदक ने ऐसी कोई पद्धति उपलब्ध नहीं करायी है जिसके आधार पर ऐसे आंकड़ों का संकलन सी सी एफ द्वारा किया गया था।

ड.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

- 26. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ वाले वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- 27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की याचिका के संबंध में विधिवत रूप से की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर उपलब्ध करायी गई सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करायें। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना गोपनीय के रूप में होने का दावा किया है।

च. <u>विविध मुद्</u>दें

च.1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 28. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. इन आयातों को लेनदेनवार आयात संबंधी आंकड़ों में उल्लिखित विवरण के आधार पर अलग-अलग किया गया है। लाइकरा, नायलान यार्न, औद्योगिक यार्न आंशिक रूप से उन्मुख यार्न, स्पेंडेक्स, कोर्ड, टेक्सचर्ड यार्न, स्पन यार्न, बी सी एफ आदि से संबंधित आयातों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। आयात संबंधी आंकड़ों का संकलन करने के लिए पद्धति आवेदन के पैरा 17 में दिया गया है।
 - ii. क्षति संबंधी अवधि व्यापार सूचना 2/2004 और पाटनरोधी प्रथाओं के संबंध में डब्ल्यू टी ओ की समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है। एस ओ पी का मिनरल एक आंतरिक मार्गदर्शन है और वह व्यापार अधिसूचना का अधिक्रमण नहीं कर सकता है।
 - iii. वह अवधि जिसके दौरान शुल्क लागू रही है। इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए एक संगत मानदंड नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखे जाने की आवश्यकता है।

च.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 29. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:
 - i. व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन कार्य पद्धतियों की नियम पुस्तिका के पैरा 5.8 में क्षति की जांच की अवधि के प्रावधान है और यह जांच की अवधि कम से कम 4 (चार) संपूर्ण वर्ष की होनी चाहिए। जांच की अवधि और क्षति की जांचि की अवधि चार वर्षों के लिए पूर्ण नहीं है और इस कारण से प्राधिकारी द्वारा मानी जा रही अवधि के प्रचालन, कार्य पद्धतियों के नियम पुस्तिका का पूर्ण रूप से उल्लंघन है।
 - ii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस याचिका में विचाराधीन उत्पाद के आयात संबंधी आंकड़ों का संकलन करने के लिए उपयोग की जा रही पद्धति के बारे में बताने के लिए आवेदक को निर्देश दें।
- च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>
- 30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में जांच की अवधि 12 महीने है। इस नियमावली के नियम 2 (घक) के अनुसार **"जांच की अवधि"** का तात्पर्य उस अवधि से है जिसके दौरान पाटन के मौजूद रहने की जांच की जाती है।

31. इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 22 (3) के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित का उल्लेख है :

''इन नियमावली के उद्देश्य से, जांच की अवधि -

- i. जांच की शुरूआत की तिथि को 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होगी।
- ii. 12 महीने की अवधि होगी और उसके लिए लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड किया जाएगा जो निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छ: महीने अथवा अधिकतम अठारह महीने मान सकते हैं।
- 32. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि इस नियमावली के नियम 2(घक) और नियम 22(3) दोनों का पालन करते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जैसा कि प्रचालन कार्य पद्धतियों के नियम पुस्तिका में उल्लेख किया गया है, यह नियम पुस्तिका डी जी टी आर के अधिकारियों की कार्य क्षमता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी में सुधार लाने के लिए उनके दिन प्रति दिन कार्य में मार्गदर्शन करने के लिए चरण दर चरण आंतरिक अनुदेश हैं और इसका अभिप्राय समय-समय पर जारी की गई व्यापार सूचनाओं/परिपत्रों/अनुदेशों को प्रतिस्थापित करना नहीं है। इसके अलावा, जैसाकि स्वयं नियम पुस्तिका में उल्लेख किया गया है, व्यापार समय-समय पर जारी की गई व्यापार सूचनाओं/परिपत्रों/अनुदेशों को प्रतिस्थापित करना नहीं है। इसके अलावा, जैसाकि स्वयं नियम पुस्तिका में उल्लेख किया गया है, व्यापार सूचनाएं और परिपत्र किसी अंतर अथवा विरोधाभास की स्थिति में नियम पुस्तिका के स्थान पर अधिक प्रभावी हैं। इसके अलावा, जैसाकि स्वयं नियम पुस्तिका के स्थान पर अधिक प्रभावी हैं। इसके अलावा कि स्थिति में नियम पुस्तिका के स्थान पर अधिक प्रभावी हैं। इसके अलावा, जैसाकि स्वयं नियम पुस्तिका के स्थान पर अधिक प्रभावी हैं। इसके अलावा, जैसा कि नियम पुस्तिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, उनमें दी गई सूचना को किसी है।
- 33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात संबंधी आंकड़ों का संकलन करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति उपलब्ध नहीं कराया है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 34. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :
 - i. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-I, नियम 7 के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन के आरोहण नवाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) को उद्धृत किया है और उस पर विश्वास किया है और यह उल्लेख किया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निदेश दिया जाना चाहिए कि स्पष्ट स्थिति में आरोहण नवाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के प्रावधानों के संदर्भ में मौजूद हैं।

- ii. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. का संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादन और खपत है और उसके बाद भारत का उत्पाद और खपत है। चूंकि वैश्विक उत्पादन और खपत में अन्य देशों का हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत कम है, किसी अन्य देश को एक प्रतिनिधिक देश मानना उपयुक्त नहीं होगा। तदनुसार, आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में भी भुगतान योग्य कीमत को चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उपयुक्त माना जाना चाहिए। आवेदक ने लाभ को उचित रूप से जोड़ने के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन की औसत लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।
- iii. आवेदक ने दावा किया है कि थाईलैंड में उत्पादन के लागत से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है और थाईलैंड में उत्पाद न की लागत का दावा भारत में उत्पादन की औसत लागत के आधार पर किया है।
- iv. आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस से संकलित आयात संबंधी आंकड़ों का उपयोग निवल निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, पोत खर्च, अतर्देशीय खर्च भाड़ा और मूल्य वर्धित कर (चीन जन. गण. के लिए) के लिए समायोजन करने के लिए किया है।
- v. निर्यातक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि निर्यात कीमत के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए समायोजन उचित नहीं हैं, क्योंकि इसने उत्तर प्रस्तुत कर समायोजन उपलब्ध नहीं करायें हैं।
- vi निर्यातक ने घरेलू बिक्री कीमत, निर्यातकों की लागत और कीमत का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है और इस कारण से आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना में अब विसंगतियों का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
- vii. निर्यातक ने यह तर्क नहीं दिया है कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और घरेलू उद्योग ने इसे रोक रखा है।
- viii. जैसा कि आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स ऐसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माना गया है, घरेलू उद्योग से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उनके पास निर्यातक के उत्पादन के लागत के संबंध में सूचना उपलब्ध है और उसे उत्पादक की संगठित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य प्रस्तुत करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- ix. आवेदक ने आवेदन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पद्धति दी है और पांच प्रतिशत का लाभ मार्जिन प्राधिकारी की सतत कार्य पद्धति के अनुसार जोड़ा गया है।
- x. निर्यातक ने उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर पी सी एन वार तुलना की मांग नहीं की है और इस प्रकार ऑफ ग्रेड उत्पादों का पाटन मार्जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्राधिकारी की सतत कार्य पद्धति है कि उत्पाद गुणवत्ता का पी सी एन पद्धति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसा कि चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, ताईवान और थाईलैंड से नायलान (मल्टी फिलामेंट) यार्न के आयातों के संबंध में जांच में माना गया है।

छ.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 35. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :
 - i. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य की संरचना घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई लागत पर विचार करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर बनायी जाती है। सामान्य मूल्य की गणना त्रुटिपूर्ण है। इस अधिनियम की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) (ii) के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई भी संरचित सामान्य मूल्य को ही अपना सकता है।
 - क. जहां निर्यातक देश की घरेलू बाजार में सामान्य वस्तु की कोई बिक्री नहीं हुई है।
 - ख. जब कोई खास बाजार स्थिति अथवा निर्यातक देश की घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है।
 - ii. यदि उपर्युक्त स्थितियां मौजूद भी हों तब भी सामान्य मूल्य को नीचे दिए गए अनुसार संरचित किया जा सकता है:-

- क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात निर्यातक देश अथवा प्रक्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश में किया गया हो।
- ख. प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए उचित रूप से जोड़ने के साथ मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत ।
- iii. आवेदन में, आवेदक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति जिसका उल्लेख इस अधिनियम की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) (ii) में किया गया है, मौजूद थी। संगत प्रावधानों में उल्लिखित दो परिस्थितियां सामान्य मूल्य की सरंचना के लिए आधार के रूप में निर्यात करने वाले देश में घरेलू बिक्री कीमतों के संबंधित आंकड़ों की ''आसानी से उपलब्धता नहीं'' को शामिल नहीं करता है।
- iv. कोई साक्ष्य आवेदक द्वारा नहीं किया गया है कि इन लागतों की गणना घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई लागत पर विचार करते हुए की गई है।

छ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

36. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में से एक देश अर्थात थाईलैंड से केवल एक उत्पादक/निर्यातक अथवा
 मै० इंडोरामा पोलिस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लि० ने क्षति संबंधी अनुरोध दायर किए हैं। उपर्युक्त संबद्ध देशों
 में से किसी से भी उत्पादक / निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

<u>सामान्य मूल्य</u>

- 37. इस अधिनियम की धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा.
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत.

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

38. उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अथवा संगठित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमतें आवेदक द्वारा न तो उपलब्ध करायी गई हैं और न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास यह सूचना उपलब्ध है। इस कारण से, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ को जोड़ने के बाद विधिवित समायोजित भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर की गई है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

<u>थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। थाईलैंड में सभी उत्पादकों / निर्यातकों को असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियम 6(8) के संदर्भ में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

40. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। संबद्ध देशों से उत्पादकों / निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के वास्ते निर्यात कीमत की गणना डीजीसीआई एंड एस के लेनदेनवार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर दिया गया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा खर्च, पोत खर्च, बैंक शुल्क और मूल्य वर्धित कर (चीन जन. गण के लिए) समायोजन किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित निर्यात कीमत को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.4. <u>पाटन मार्जिन की गणना</u>

41. पाटन मार्जिन का निर्धारण इस अधिनियम की धारा 9क (1) (क) के अनुसार किया गया है और उसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

संबद्ध देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
			यूएस डॉलर/मी.टन	यूएस डॉलर/मी.टन	यूएस डॉलर/मी.टन	%	रेंज
चीन जन. गण.	सभी	सभी	***	***	***	***	0-20
थाईलैंड	सभी	सभी	***	***	***	***	20-40

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

42. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. और थाईलैंड दोनों के लिए पाटन मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ज. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का विश्लेषण</u>

ज.1. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 43. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :
 - i. निर्णायक समीक्षा के मामले, अनुच्छेद 11.3 में जांच करने वाले प्राधिकारियों के लिए केवल यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का निर्धारण करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। इसके सिद्ध कर लिए जाने के साथ ही यह कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने या उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 - जैसा कि मैक्सिको से ओ सी टी जी यू एस में अपीलीय निकाय द्वारा माना गया है, कारणात्मक संबंध को निर्णायक समीक्षा में दर्शाया जाना अपेक्षित नही है।
 - iii. निर्णायक समीक्षा जांच में, ऐसा मामला हो सकता है जहां घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है। यह कि जब घरेलू उद्योग लागू शुल्कों के कारण पाटन के क्षतिकारक प्रभावों से उभर गया है, ऐसी परिस्थिति में इस तथ्य की आवश्य जांच की जानी चाहिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने की स्थिति में पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना है। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
 - iv. केवल इस कारण से कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है, का आशय यह नहीं होता है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखा जा सकता है।

- v. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के परिणामस्वरूप गिरावट आई। इसी प्रकार, घरेलू उत्पादों और खपत की तुलना में आयातों की मात्रा केवल पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के कारण कम है।
- vi विशिष्ट उत्पादों में कम गलन यार्न, द्विसंघटन यार्न, मदर यार्न, द्विसंकुचन यार्न आदि शामिल है। यदि संबद्ध देशों से आयातों को देखा जाए तब विशिष्ट यार्नों के प्राय: सभी आयात कम गलन यार्न के हैं। यदि कुछ विशिष्ट यार्नों और नमूनों के आयातों को शामिल न किया जाए तब याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हुई है। विशिष्ट और नियमित यार्नों की कीमत एक दूसरे के लिए अर्थात चीन जन. गण. से आयातों के लिए लगभग 105 प्रतिशत तथा थाईलैंड से आयातों के लिए 118 प्रतिशत से बहुत अधिक अलग है।
- vii. कम कीमत पर आयातों और कीमत में सकारात्मक कटौती यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- viii. भारतीय बाजार में मांग में वृद्धि को देखते हुए क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है। पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग क्षति की अवधि के दौरान अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम रहा है।
- ix. चूंकि पाटनरोधी शुल्क ने आयातों को नियंत्रित किया है, अत: भारतीय उद्योग अपने बाजार को बनाये रखने में सक्षम नहीं हुआ है। पाटनरोधी शुल्क के अभाव में, आयात और अधिक कीमत आकर्षक हो जाएगा जिसके कारण आयात की गई वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी।
- x. घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- xi. घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या में कमी आयी है, लेकिन मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान मामूली रूप से वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- xii. लागू पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप आयात और कीमत संबंधी मानदंडों में वृद्धि हुई है।
- xiii. लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है।
- xiv. यह कि वेलनोन पोलिस्टर लि० को आशा थी कि पाटनरोधी शुल्क के कार्यकाल के दौरान अर्थात 2019-20 में इसके राजस्व में वृद्धि होगी। यह नहीं दर्शाता है कि इसे पाटनरोधी शुल्क के न रहने पर अपने राजस्व में वृद्धि होते रहने की आशा है।
- xv. अनुबंध-II के पैरा (vii) ने संभावना के मामले में दर्शाये जाने के लिए मानदंडों की एक विकसित सूची उपलब्ध नहीं है।
- xvi. आवेदक ने पहले ही शुल्कों की न रहने की स्थिति में घरेलू उद्योग की पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं, क्षमताओं में अत्यधिक आसन्न वृद्धि और जिन कीमतों पर आयात हो रहे हैं उनके कारण कीमतों पर न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव करने की संभावना को दर्शाया है।
- xvii. निर्यातक के दावे के विपरीत, थाईलैंड के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक हैं।
- xviii. घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए कुछ स्थिति में बाध्य नहीं था जब पहुंच कीमत में गिरावट आई और ऐसा केवल लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ है। यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तब पहुंच कीमत बिक्री कीमत की तुलना में कम होगी और इसके घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव उत्पन्न होगा।
- xix. चूंकि निर्यातक ने प्रश्नावली का भाग 2 प्रस्तुत नहीं किया है, यह अब दर्शा नहीं सकता है कि थाईलैंड से संभावना के संबंध में रिकार्ड पर पर्याप्त सूचना नहीं है। आवेदक ने भारत की कीमत आकर्षकता सहित पाटन के जारी रहने तथा इसके फलस्वरूप क्षति की संभावना को दर्शाते हुए पूर्ण सूचना दी है।

- xx. अन्य देशों से आयातों की मात्रा संगत नहीं है और इसलिए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और भविष्य में वैसा होने की संभावना नहीं है।
- xxi. निम्नलिखित से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है और न होने की संभावना है :
 - क. जबकि इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और मलेशिया से बहुत अधिक मात्रा में आयात हुए हैं, इसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। जैसा कि इसके उन्नत कार्य निष्पादन से देखा जा सकता है।
 - ख. संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस कारण से, घरेलू उद्योग को क्षति मांग में किसी संकुचन के कारण नहीं होने की संभावना है।
 - ग. प्रौद्योगिकी और उत्पादन की प्रक्रिया में कोई प्रमुख प्रगति नहीं हुई है और इस प्रकार उस आधार पर कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।
 - घ. कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां अथवा प्रतियोगिता की शर्तें नहीं हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन प्रभावित होने की संभावना हो।
 - ड. इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं के खपत के पैटर्न मे कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।
 - च. लिया गया आंकड़ा विशिष्ट रूप से संबद्ध वस्तुओं से संबंधित है और इस कारण अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन संगत नहीं है।

ज.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 44. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
 - i. आवेदक द्वारा यह एक स्वीकार किया गया तथ्य है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। आवेदक ने क्षति के प्राय: सभी कारकों में सकारात्मक और असाधारण संचलन को दर्शाया है जिस पर भी प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।
 - ii. कुल मांग के प्रतिशत के रूप में थाईलैंड से आयात जांच की अवधि में मात्र 0.01 प्रतिशत था। आयातों की मात्रा विशेष रूप से थाईलैंड से मामूली है और संबद्ध आयातों की मात्रा से घरेलू उद्योग को फिर से क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। जब उस देश से आयातों की मात्रा या तो कम अथवा नगण्य हो तब संबद्ध देश के विरूद्ध पाटनरोधी जांच को समाप्त करने की प्राधिकारी की एक स्थापित कार्य पद्धति है। प्राधिकारी को थाईलैंड के मूल के आयातों की अलग जांच अवश्य करनी चाहिए।
 - iii. संबद्ध आयातों की कीमत के संदर्भ में कोई वर्तमान अथवा भावी क्षति नहीं है और इसके अलावा, आयात घरेलू बिक्री कीमत को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है।
 - iv. यदि घरेलू बिक्री को आयातों की पहुंच कीमत से जोड़ा गया होता तब जांच की अवधि के दौरान जब आयातों की पहुंच कीमत में कमी आयी थी, घरेलू बिक्री में भी उसी के अनुरूप गिरावट हुई होती।
 - v. निर्णायक समीक्षा जांचों में कारणात्मक संबंध देखने के लिए प्राधिकारी की एक स्थापित कार्य पद्धति है।
 - vi तीसरे देश से आयातों पर भी प्राधिकारी द्वारा विचार करना चाहिए।
 - vii. घरेलू उद्योग को मूल जांच में अनंतिम शुल्क लगाये जाने के समय से पर्याप्त संरक्षण मिला है। घरेलू उद्योग इस प्रकार से शुल्क लगाये जाने के बाद, आगे बढ़ा है और आयातों की मात्रा अब नगण्य है।
 - viii. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि विशिष्ट यार्न और नियमित यार्न के बीच कीमत में बहुत अधिक अंतर है। हालांकि इस प्रकार की तुलना थाईलैंड से आयातों के संबंध में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि थाईलैंड से विशिष्ट यार्न का आयात केवल 0.05 मी. टन है जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा लिखित अनुरोधों में किया गया है। विशिष्ट यार्न के आयात की मात्रा इतनी कम है कि उसकी उचित तुलना नियमित यार्न से नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गई तालिका इस

प्रकार के आंकड़ों के लिए किसी स्रोत का उल्लेख नहीं करते हैं और इसकी विश्वसनीयता के बारे में संदेह उत्पन्न करते हैं।

ix. ''रोजगार'' एक आर्थिक कारक हैं जिसकी क्षति के निर्धारण के लिए जांच की जानी है। इसकी व्याख्या केवल इस तात्पर्य से की जानी चाहिए कि यदि आवेदकों के साथ पर्याप्त रोजगार है तब यह इस तथ्य को दर्शाने के लिए एक कारक है कि घरेलू उद्योग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ज.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

<u>क्षति का संचयी आकलन</u>

- 45. इस नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) और विश्व व्यापार संगठन करार (डब्ल्यू टी ओ) के अनुच्छेद 3.3 में यह प्रावधान है कि यदि कहीं ऐसे देश से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटनरोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :
 - (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा
 - (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है।
- 46. अनुबंध-2 के साथ पठित इस नियमावली के नियम-11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति के निर्धारण में " पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए "... घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर इस नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
- 47. घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच और उसका समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

ज.3.1 <u>मांग का आकलन और बाजार हिस्सा</u>

48. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दिया गया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	POI
	मी. टन	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	सूचीबद्ध	100	108	106	112
	मी. टन	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	सूचीबद्ध	100	116	52	56
समर्थकों और अन्य उत्पादकों	मी. टन	***	***	***	***
की बिक्री	सूचीबद्ध	100	106	128	135

2	1
L	T

संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	313	45	73	166
सबद्ध दशा स आयात	सूचीबद्ध	100	14	23	53
चीन जन. गण. से आयात	मी. टन	288	23	36	113
चान जन. गण. स आयात	सूचीबद्ध	100	8	13	39
थाईलैंड से आयात	मी. टन	25	22	37	53
थाइलड स आयात	सूचीबद्ध	100	89	148	214
अन्य देशों से आयात	मी. टन	20,998	22,436	25,404	27,495
अन्य दशा स आयात	सूचीबद्ध	100	107	121	131
कुल मांग (कैप्टिव खपत के	मी. टन	7,17,623	7,67,663	8,60,632	9,06,788
बिना)	सूचीबद्ध	100	107	120	126
कुल मांग (कैप्टिव खपत	मी. टन	7,18,136	7,68,258	8,60,899	9,07,073
सहित)	सूचीबद्ध	100	107	120	126
बाजार हिस्सा					
	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	सूचीबद्ध	100	101	89	89
	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	सूचीबद्ध	100	108	43	44
समर्थक और अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
समयक आर अन्य उत्पादक	सूचीबद्ध	100	100	107	107
संबद्ध देश	%	0.04	0.006	0.008	0.018
त्तवद्ध दरा	सूचीबद्ध	100	13	19	42
अन्य देश	%	2.92	2.92	2.95	3.03
जन्य दश	सूचीबद्ध	100	100	101	104
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

- 49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्ज की। जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री स्वतंत्र रूप में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक बढ़ी लेकिन तुलनात्मक रूप में घरेलू उद्योग के हिस्से में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक कमी पायी।
- 50. स्वतंत्र और सापेक्ष दोनों रूप में, आयातों में आधार वर्ष से 2017-18 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई । हालांकि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा क्षति की पूरी अवधि के दौरान कम रही है ।
- ज.3.2 <u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव</u>

i. <u>संबद्ध देशों की आयात की</u> मात्रा संबंधी प्रभाव: आयात की मात्रा और हिस्सा

51. संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभावों की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
आयात की मात्रा					
संबद्ध देश	मी.ट.	313	45	73	166
	सूचीबद्ध	100	14	23	53
	मी.ट.	288	23	36	113
चीन जन. गण.	सूचीबद्ध	100	8	13	39

थाईलैंड	मी.ट.	25	22	37	53
याइलड	सूचीबद्ध	100	89	148	214
	मी.ट.	20,998	22,436	25,404	27,495
अन्य देश	सूचीबद्ध	100	107	121	131
	मी.ट.	21,310	22,481	25,477	27,661
कुल आयात	सूचीबद्ध	100	105	120	130
कुल आयात में हिस्स	Γ				
	%	1.35	0.10	0.14	0.41
चीन जन. गण.	सूचीबद्ध	100	8	11	30
<u> </u>	%	0.12	0.10	0.14	0.19
थाईलैंड	सूचीबद्ध	100	85	124	165
	%	98.53	99.80	99.71	99.40
अन्य देश	सूचीबद्ध	100	101	101	101
निम्नलिखित की तुल	ना में संबद्ध आय	ात:			
	%	0.04	0.006	0.008	0.018
मांग	सूचीबद्ध	100	13	19	42
भारतीय उत्पादन	%	0.04	0.01	0.01	0.02
मारताय उत्पादन	सूचीबद्ध	100	14	20	43

52. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में आधार वर्ष के स्तर से लगभग आधा था । संबद्ध देशों से आयातों में 2017-18 में गिरावट आई और उसके बाद बढ़ती हुई प्रवृति दर्ज की गई । चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक गिरावट आई और थाइलैंड से आयात दुगुने से अधिक हो गया है। देश में खपत और उत्पादन की तुलना में, संबद्ध आयातों में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक समान प्रवृत्ति दर्ज की। देश में स्वतंत्र रूप में तथा खपत और उत्पादन दोनों की तुलना में, संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष से 2017-18 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि तक वृद्धि हुई । अन्य देशों के आयातों का जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि के दौरान बढ़ोत्तरी होना जारी रहा है । हालांकि, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा क्षति की पूरी अवधि के दौरान कम रही है ।

ज.3.3 पाटित आयातों की कीमत संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

- 53. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमत और दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाएगी जो सामान्य अवधि में अन्य प्रकार से हुई होती।
- 54. तदनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमत न्यनीकरण / ह्रास और कम कीमत पर बिक्री यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। कुछ विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

<u>कीमत में कटौती</u>

55. कीमत में कटौती का निर्धारण संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से किया गया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि			
	रू./मी. टन	***	***	***	***			
एन एस आर	सूचीबद्ध	100	100	115	108			
		चीन जन.	गण.					
पहुंच कीमत	रू./मी. टन	1,04,308.98	90,362.37	1,47,523.25	96,227.51			
	रू./मी. टन	***	***	***	***			
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***			
	रेंज	(20)-0	0-20	(40)-(20)	0-20			
	थाईलैंड							
पहुंच कीमत	रू./मी. टन	84,281.13	1,13,574.87	99,898.68	84,476.97			
	रू./मी. टन	***	***	***	***			
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***			
	रेंज	0-20	(20)-0	0-20	0-20			
		संबद्ध दे	श					
पहुंच कीमत	रू./मी. टन	1,02,724.43	1,01,749.81	1,23,594.71	92,486.90			
	रू./मी. टन	***	***	***	***			
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***			
	रेंज	(20)-0	(20)-0	(20)-0	0-20			

56. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों और चीन जन. गण. तथा थाईलैंड दोनों से अलग-अलग आयातों की पहुंच कीमत घरेलू बिक्री कीमत से कम थी।

<u>कीमत ह्वास / न्यूनतम</u>

57. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा वह कम हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतें बहुत अधिक हद तक कम हो जाएगी अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाएगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती, प्राधिकारी क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन को नोट करते हैं। यह स्थिति नीचे तालिका के अनुसार दर्शायी गई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रू./मी. टन	***	***	***	***
ାଷ୍ୟ ନା ମାଏ। ଏ	सूचीबद्ध	100	106	125	111
बिक्री कीमत	रू./मी. टन	***	***	***	***
। अफ्रा कामत	सूचीबद्ध	100	100	115	108
गंगन नेकों से प्रतंन नीपन	रू./मी. टन	1,02,724	1,01,750	1,23,595	92,487
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	सूचीबद्ध	100	99	120	90
चीन जन. गण. से पहुंच	रू./मी. टन	1,04,309	90,362	1,47,523	96,228
कीमत	सूचीबद्ध	100	87	141	92
	रू./मी. टन	84,281	1,13,575	99,899	84,477
थाईलैंड से पहुंच कीमत	सूचीबद्ध	100	135	119	100

58. बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में 2018-19 तक वृद्धि हुई और तब उसमें जांच की अवधि में गिरावट आई। क्षति की पूरी अवधि के दौरान, बिक्री की लागत बिक्री कीमत से कम रही। संबद्ध देशों से पहुंच कीमत 2016-17 से 2018-19 तक बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों की तुलना में अधिक थी। जांच की अवधि में संबद्ध देशों से पहुंच कीमत बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों से कम थी। क्षति की पूरी अवधि के दौरान, बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों से कम थी। क्षति की पूरी अवधि के दौरान, बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों से कम थी। क्षति की पूरी अवधि के दौरान, बिक्री की लागत चीन जन. गण. से पहुंच कीमतों से कम रही। जबकि, 2017-18 में, बिक्री की लागत थाईलैंड की पहुंच कीमत से कम रही, 2016-17, 2018-19 और जांच की अवधि में, बिक्री की लागत थाइलैंड से आयातों की पहुंच कीमत से कम रही, 2016-17, 2018-19 और जांच की अवधि में बिक्री कीमत चीन जन.गण. की पहुंच कीमतों से कम रही, यह 2017-18 और जांच की अवधि में चीन जन.गण. की पहुंच कीमतों से तम रही, यह 2017-18 और जांच की अवधि में चीन जन.गण. की पहुंच कीमतों की तुलना में अधिक थी। जबकि 2016-17 और 2018-19 में बिक्री कीमत चीन जन.गण. की पहुंच कीमतों से कम रही, यह 2017-18 और जांच की अवधि में चीन जन.गण. की पहुंच कीमतों की तुलना में अधिक थी। जबकि 2016-17 और 2018-19 में बिक्री कीमत चीन जन.गण. की पहुंच कीमतों से कम रही, यह 2017-18 और जांच की अवधि में चीन जन.गण. की पहुंच कीमतों की तुलना में अधिक थी। बिक्री कीमत 2017-18 में थाइलैंड से पहुंच कीमत से कमतर थी और 2016-17, 2018-19 और जांच की अवधि में यह अधिक थी। हालांकि, इन आयातों का वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

<u>कम कीमत पर बिक्री</u>

59. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री के कारण हुई हानि की भी जांच की है। यह नोट किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार चीन जन.गण. तथा थाईलैंड से पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री हुई है।

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.	थाईलैंड	संबद्ध देश
एन आई पी	रू./मी. टन	***	***	***
जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत	रू./मी. टन	96,228	84,477	92,487
	रू./मी. टन	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
	रेंज %	0-20	0-20	0-20

ज.3.4 <u>घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंडों की जांच</u>

- 60. इस नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी । ऐसे उत्पादों से घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।
- 61. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण यहां नीचे किया गया है।

क) <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां</u>

62. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है और वह निम्नलिखित नोट करते हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	106	106
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	108	107	114

क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	100	107
	मी. टन	***	***	***	***
घरलू बिक्रिया	सूचीबद्ध	100	108	106	112

63. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :

- i. घरेलू उद्योग ने 2017-18 में अपनी क्षमता में वृद्धि की है।
- ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष से 2017-18 तक वृद्धि हुई। इसके बाद, 2018-19 में गिरावट और जांच की अवधि में वृद्धि हुई थी।
- iii. अमता का उपयोग 2018-19 तक कमोबेश वही रहा और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई ।

ख) मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

64. घरेलू उद्योग बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2016-17 और 2017-18 में कमोबेश उसी स्तर पर रहा और फिर 2018-19 तथा जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। आयातों का बाजार हिस्सा इस पूरी अवधि के दौरान कम था।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	सूचीबद्ध	100	101	89	89
मोन ज्योग की है गिव खान	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	सूचीबद्ध	100	108	43	44
समर्थक और अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
समयक आर अन्य उत्पादक	सूचीबद्ध	100	100	107	107
संबद्ध देश	%	0.06	0.01	0.01	0.02
संबद्ध दश	सूचीबद्ध	100	13	19	42
अन्य देश	%	2.91	2.92	2.95	3.03
	सूचीबद्ध	100	100	101	104
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

ग) मालसूची

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तर में 2017-18 में वृद्धि हुई और फिर वह कमोबेश उसी स्तर पर रही।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
औरान पालरानी	मी. टन	***	***	***	***
आसत मालसूची	सूचीबद्ध	100	170	169	237

घ) लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

66.	घरेलू उद्योग	ग के कार्य	ेनिष्पादन व	की जांच लाभ,	नकद लाभ और	नियोजित प	<u>ग</u> ्नंजी पर आय	के संबंध में की गई है।
-----	--------------	------------	-------------	--------------	------------	-----------	----------------------	------------------------

विवरण	इकाई	2016- 17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
	रू./मी. टन	***	***	***	***
घरेलू बिक्रियों की लागत	सूचीबद्ध	100	106	125	111
<u> </u>	रू./मी. टन	***	***	***	***
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	100	115	108
<u> </u>	रू./मी. टन	***	***	***	***
प्रति इकाई लाभ	सूचीबद्ध	100	44	14	74
	रू. लाख	***	***	***	***
नकद लाभ	सूचीबद्ध	100	62	34	79
	रू. लाख	***	***	***	***
ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी)	सूचीबद्ध	100	72	36	92
	%	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई)	सूचीबद्ध	100	74	43	121

67. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि प्रति इकाई लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर लाभ ने 2016-17 से 2018-19 और आगे 2018-19 में गिरावट की प्रवृत्ति देखी और जांच की अवधि में इसमें सुधार हुआ ।

ड.) रोजगार और मजदूरी

68. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या में 2017-18 में वृद्धि हुई और उसके बाद 2018 19 में और आगे जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए गए वेतन और मजदूरी आधार वर्ष से 2018-19 तक कमोबेश उसी स्तर पर रही और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई ।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
	संख्या	1,503	1,530	1,417	1,387
राजगार	सूचीबद्ध	100	102	94	92
	रू. लाख	***	***	***	***
वेतन और मजदूरी	सूचीबद्ध	100	100	100	106

च) वृद्धि

69. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि मानदंडों की जांच नीचे दर्शायी गई है :

विकास	इकाई	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	%	8.08	-1.43	6.85
घरेलू बिक्रियां	%	7.91	-1.36	5.28
क्षमता उपयोग	%	1.43	(1.14)	5.37
प्रति इकाई लाभ	%	(55.72)	(69.13)	441.68
आरओसीआई	%	(25.66)	(41.89)	181.0

70. यह देखा जा सकता है कि उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता की उपयोगिता की 2018-19 में गिरावट के बाद जांच की अवधि में सकारात्मक वृद्धि हुई थी। प्रति इकाई लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ जैसे मानदंडों का 2017-18 और 2018-19 में वृद्धि नकारात्मक वृद्धि और जांच की अवधि में सकारात्मक वृद्धि थी। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2018-19 में और जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि थी।

छ) पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

71. चीन जन. गण. और थाईलैंड दोनों के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि बहुत अधिक भी है।

ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

72. घरेलू उत्पादकों के पास बाजार का *** प्रतिशत हिस्सा है जबकि आयातों का बाजार हिस्सा नगण्य है । आयातों की नगण्य मात्रा का वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू की कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ा है । हालांकि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत से कम है ।

झ) नये निवेश जुटाने की क्षमता

73. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास नये निवेश जुटाने की क्षमता है।

ज.3.5 <u>क्षति पर टिप्पणियां</u>

- 74. वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि :
 - i. संबद्ध वस्तुओं की आयातों की मात्रा में 2016-17 और 2018-19 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई।
 - घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग जैसे मानदंडों में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।
 - iii. लाभप्रदता मानदंडों में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सुधार हुआ है।
 - iv. चीन जन. गण. और थाईलैंड दोंनों से पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है।

ज.3.6 <u>कारणात्मक संबंध</u>

75. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो उसी समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं साथ ही, इन अन्य कारकों के द्वारा पहुंचायी गई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। यह जांच की गई थी कि क्या इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध निम्नलिखित अन्य कारक घरेलू उद्योग द्वारा उठायी गई क्षति में योगदान कर सकते थे।

क) तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में 99.40 प्रतिशत पर तीसरे देशों से विचाराधीन उत्पादों की आयात की मात्रा बहुत अधिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयातों की सीआईएफ कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान संबद्ध देशों की सीआईएफ कीमत से अधिक है। इसके अलावा ऐसे आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत की तुलना में अधिक है।

ख) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू बाजार के कार्य निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ग) आबद्ध बिक्री

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कुछ आबद्ध बिक्री भी है जिसमें आधार वर्ष के लगभग आधे स्तर तक जांच की अवधि में गिरावट आई। आबद्ध बिक्री से संबद्ध आंकड़े बहुत कम हैं और उसके लिए क्षति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू बिक्रियों की मात्रा	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	108	106	112
कैप्टिव बिक्रियों की	मी. टन	***	***	***	***
मात्रा	सूचीबद्ध	100	116	52	56

घ) प्रौद्योगिकी में विकास

79. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को क्षति के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी में विकासों के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। घरेलू उद्योग के घटकों ने यह अनुरोध किया है कि वे अपने संयंत्रों में समकालीन मानकों के प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

ड.) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उत्पादन किए जा रहे और घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों से कार्य निष्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति के एक संभावित कारण के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और विदेश तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

81. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और वह इस देश में स्वतंत्र रूप से आयात किए जाने योग्य है। घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों से पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकारा द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

छ) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री बढ़ती जा रही है। यद्यपि 2018-19 में गिरावट आई थी। देश में कुल मांग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। इस कारण से मांग में संकुचन क्षति का कारण नहीं हो सकता है। इसके अलावा, इस देश में संस्थापित क्षमताएं देश में उत्पाद के लिए मांग की तुलना में तर्कसंगत रूप में अधिक है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	108	106	112
कुल मांग (कैप्टिव सहित)	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	120	126

ज) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि या तो घरेलू उद्योग अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू उद्योग की उत्पादकता के आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। रिकॉर्ड पर सूचना क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है ।

झ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

झ.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 84. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :
 - पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के बाद आयात लगभग समाप्त हो गया है।
 - ii. विदेशी उत्पादकों की क्षमताओं और उनके क्षमता उपयोग के सारांश से, यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास बहुत अधिक क्षमताएं हैं। यह भी नोट किया जा सकता है कि एफ डी वाई, पी एफ वाई के उत्पादन और खपत का लगभग 40 प्रतिशत है। यदि अत्यधिक क्षमताओं के 40 प्रतिशत पर विचार किया जाएगा तब यह देखा जाएगा कि चीन जन. गण. के पास 28.54 लाख मी. टन तक अतिरिक्त क्षमताएं हैं। उसी प्रकार थाईलैंड के मामले में जिसमें एफ डी वाई, पी एफ वाई का 35 प्रतिशत है, निर्यातकों के पास लगभग 1.53 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमताएं हैं। स्पष्ट रूप से, निर्यातकों की अतिरिक्त क्षमताएं केवल 8.64 लाख मी. टन मात्र की भारत में मांग की तुलना में बहुत अधिक है अर्थात यह 30.07 लाख मी. टन है।
 - iii. इसके अलावा, संबद्ध देशों में उत्पादक संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए सतत रूप से क्षमताएं बढ़ा रहे हैं जैसा कि वुड मैकेंजी आंकड़ों में उपलब्ध है।
 - iv. भारत निर्यातकों के लिए एक प्रमुख बाजार है। यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखा जाता है तब संबद्ध देशों से भारत को निर्यात बढ़ने की संभावना है।
 - v. संबद्ध देशों से निर्यातक अन्य देशों में पाटन कर रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्योंकि निर्यातक, तब भारत में पाटन से अपने आपको रोकेगा यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है।
 - vi जैसा कि सी सी एफ ग्रुप द्वारा प्रकाशित एफ डी वाई और आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पी ओ वाई) की कीमतों से देखा जा सकता है, अप्रैल, 2016 से मार्च, 2018 तक, पी ओ वाई और एफ डी वाई की कीमत में बहुत अधिक अंतर था। यह प्राथमिक रूप से इस तथ्य के कारण था कि एफ डी वाई की लागत पी ओ वाई की लागत की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 में, एफ डी वाई की बिक्री पी ओ वाई के रूप में लगभग उन्हीं कीमतों पर की जा रही है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों में उत्पादक बहुत अधिक कम कीमतों पर भी एफ डी वाई की बिक्री कर रहे हैं।
 - vii. जहां पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी रहा है, वहां इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में संभवत: जारी रहेगा।
 - viii. आयातों की पहुंच कीमत पाटनरोधी शुल्क के बिना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। इस प्रकार उपभोक्ताओं ने तत्काल आयात करना शुरू करेंगे ।
 - ix. चूंकि आयातों कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है अत: पाटनरोधी शुलक के लागू न रहने पर, ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को बहुत अधिक क्षति होने की संभावना है।
 - x. एफ डी वाई की गिरती हुई कीमतें सतत रूप से यह दर्शाती हैं कि विदेशी उत्पाद को भारतीय बाजार में अधिक आकर्षक पाया जाएगा।
 - xi. पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध वस्तुओं की अतिरिक्त क्षमताओं को भारतीय बाजार को निर्यात किए जाने की संभावना है।
 - xii. इसके अलावा, संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यातों का 97.95 प्रतिशत भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर किया जाता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, इस प्रकार के निर्यात भारतीय बाजार की ओर किए जाने की संभावना है।

- xiii. यदि संबद्ध देशों से तीसरे देश को निर्यात पाटनरोधी शुल्क के न होने की स्थिति में भारत को किया जाता है तब उसका घरेलू उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग के पास या तो अपने ग्राहकों को बनाये रखने के लिए अपनी कीमतों को कम कर लें अथवा अपनी कीमतों को उसी स्तर पर बनाये रखने का विकल्प होगा।
- xiv. यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को उसी स्तर पर बनाये रखने का विकल्प अपनाता है तब निम्नलिखित परिणाम होने की संभावना है।
 - क. आयातों के 4,35,330 मी. टन तक बढ़ने की संभावना है क्योंकि तीसरे देशों को कम कीमत पर निर्यात भारतीय बाजार को किया जाता है।
 - ख. घरेलू उद्योग संभवत: अपने बाजार हिस्से को खो देगा जबकि संबद्ध आयात 48 प्रतिशत के बाजार हिस्से को प्राप्त करता है।
 - ग. इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री में 51 प्रतिशत तक गिरावट होने की संभावना है और तदनुसार, इसके उत्पादन और क्षमता उपयोग में भी गिरावट आएगी।
 - घ. 84 प्रतिशत के स्तर से, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग संभवत: गिरकर मात्र 46 प्रतिशत हो जाएगा।
 - हालांकि उत्पादन और उत्पादन की घटी हुई मात्रा और क्षमता उपयोग के कारण घरेलू उद्योग
 की बिक्री की लागत में वृद्धि होने की संभावना है जबकि इसकी कीमत संभवत: वहीं रहेगी।
 - च. ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग को संभवत: घाटा / कम नकद लाभ और निवेश पर मामूली लाभ होगा।
- xv. हालांकि यदि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को बनाये रखने के लिए अपनी कीमतों को कम करता है तब यह संभवत: अपने लाभ में 62 प्रतिशत, अपने नकद लाभ में 39 प्रतिशत और निवेश पर लाभ में 51 प्रतिशत की गिरावट का सामना करेगा।
- xvi. घरेलू उद्योग के अनुमानों के अनुसार इस उत्पाद में सकल निवेश 15 हजार करोड़ रूपए है। हालांकि यदि पाटनरोधी शुल्क को इस चरण में वापस ले लिया जाता है तब घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए निवेश को बहुत अधिक हद तक हानि होने की संभावना है।
- xvii. विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों ने भी तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया है।
- xviii. संबद्ध वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक कम है जिसके फलस्वरूप कीमत में सकरात्मक कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन हुई है।
- xix. निर्यात कीमत में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
- xx. ये आयात घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत से कम कीमत पर हुआ है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में, इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग कीमतों पर ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

झ.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

- 85. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :
 - i. संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गए पाटनरोधी शुल्क को आवश्यक समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
 - ii. केवल अतिरिक्त क्षमताओं का मौजूद होना क्षति के फिर से होने की संभावना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
 - iii. थाईलैंड से अन्य पिछड़े देशों को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत भारत को निर्यात कीमत की तुलना में अधिक थी।

- iv. थाईलैंड से निर्यातकों का निकट भविष्य में अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है।
- v. भारत विदेशी उत्पादकों के लिए एक प्रमुख निर्यात बाजार नहीं है।
- vi आवेदक ने संबद्ध देशों से पिछड़े देशों को निर्यातों के संबंध में आंकड़ों के या तो स्रोत अथवा समय अवधि के बारे में नहीं बताया है।
- vii. आवेदक ने इस दावे के लिए कोई समर्थन उपलब्ध नहीं कराया है कि आयातों की कीमत उत्पादन की लागत से कम है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण की संभावना है ।
- viii. निर्यातक ने जांच की अवधि की बाद की अवधि में थाईलैंड से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
- ix. थाईलैंड से निर्यातक तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं के पाटन में शामिल नहीं है।
- x. पाटनरोधी शुल्क अब से 11 वर्षों से अधिक से लागू रहा है। इस समय के दौरान थाईलैंड के निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए पहले ही अपने वैकल्पिक बाजारों को पा लिया है और उन तीसरे देशों में आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं के साथ संविदागत अथवा अन्य प्रकार से व्यवस्थाएं की थी। उसी संबद्ध वस्तु के लिए पिछली निर्णायक समीक्षा में, मै० इंडोरामा पोलिस्टर इंडस्ट्रीज पर 57.78 यू एस डॉलर प्रति मी. टन का पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था जबकि कुछ अन्य उत्पादकों के लिए यह 547 यू एस डॉलर प्रति मी. टन था और तब भी मै० इंडोरामा पोलिस्टर इंडस्ट्रीज में भारत में आयातों की मात्रा मामूली रही है। इस प्रकार, मै० इंडोरामा पोलिस्टर इंडस्ट्रीज का संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में तीसरे देशों में भारत को अपने निर्यात परिवर्तित करने के लिए कोई कारण अथवा वाणिज्यिक प्रोत्साहन नहीं है। इसके अलावा, मै. इंडोरामा पालिस्टर इंडस्ट्रीज आ नीर्माण नहीं कर रहा है और कंपनी की भविष्य में विस्तार की कोई योजना नहीं है।
- xi. आवेदक अपने लिखित अनुरोधों में विभिन्न उदाहरणों में पी ओ वाई और पी एफ वाई के साथ एफ डी वाई की तुलना कर संशय उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं।

झ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

- 86. वर्तमान जांच चीन जन. गण. और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गए पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। इस नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का निर्धारण करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखना आवश्यक है। इसमें इस तथ्य की भी जांच अपेक्षित है कि क्या लगाया गया शुल्क अपने अभीष्ट उद्देश्य को पूरा कर रहा है।
- 87. इस प्रकार के संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य पद्धतियां उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि इस नियमावली के अनुबंध-II की शर्त (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जा सकता है अर्थात :-
 - क. काफी हद तक बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि
 का बहुत अधिक डर था।
 - ख. किसी अतिरिक्त, निर्यातकों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए काफी हद तक बढ़े हुए पाटित निर्यात को भारतीय बाजारों में किए जाने की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की पर्याप्त रूप से एवं स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य, अथवा आसन्न, वास्तविक क्षमता वृद्धि ।
 - ग. क्या ये आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और संभवत: आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होगी; और
 - घ. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची

88. इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों जिनका पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना पर प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है। संभावना के मानदंडों की जांच नीचे दिए गए अनुसार हैं :

i. पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में आयात

89. संबद्ध जांच में आयात संबंधी विवरण नीचे दिए गए अनुसार हैं :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि की बाद की अवधि - (वार्षिकीकृत)
	मी. टन	287.95	22.91	36.18	113.42	0
चीन जन. गण. से आयात	सूचीबद्ध	100	8	13	39	-
	मी. टन	24.74	22.07	36.53	52.97	0
थाईलैंड से आयात	सूचीबद्ध	100	89	148	214	-
	मी. टन	312.69	44.98	72.71	166.38	0
संबद्ध देशों से आयात	सूचीबद्ध	100	14	23	53	-

90. प्राधिकारी ने इस बात पर बल दिया है कि ये आयात शुलकों को लगाए जाने के बाद लगभग रूक गए हैं क्योंकि निर्यातक उचित कीमतों पर अपने उत्पादों की बिक्री करने में सक्षम नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते है कि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर चीन जन. से आयातों की मात्रा क्षति की अवधि के दौरान कम है। और थाईलैंड से आयातों की मात्रा उससे भी कम है। यह भी नोट किया जाता है कि थाइलैंड से लगभग संपूर्ण आयात ऑफ ग्रेड के हुए हैं।

ii. घरेलू उद्योग पर कीमत में कटौती, कीमत आकर्षकता और ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव

- 91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. और थाईलैंड दोनों से आयातों की पहुंच कीमत के कारण जांच की अवधि में घरेलू बिक्री कीमतों में कटौती हो रही है।
- 92. इसके अलावा, बिक्री की लागत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि मे 11% तक वृद्धि हुई है जबकि आवेदक उसी अवधि के दौरान बिक्री कीमत में 8% तक वृद्धि करने में सक्षम हुए हैं।
- 93. प्राधिकारी ने चीन और थाइलैंड से वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को निर्यातों की सकल मात्रा और भारत को निर्यातों के लिए कम कीमत पर निर्यातों की मात्रा की जांच की । यह नोट किया जाता ह कि जबकि चीन से विश्व के शेष भागों में निर्यातों का 98.35 प्रतिशत जो भारतीय खपत का 45 प्रतिशत है, भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमत पर हुई है और थाइलैंड से विश्व के शेष देशों को निर्यातों का केवल 91.29 प्रतिशत जो भारतीय खपत का 3 प्रतिशत है, भारत को निर्यात की मात्रा की शेष देशों को निर्यातों का केवल 91.29 प्रतिशत जो भारतीय खपत का 3 प्रतिशत है, भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमत पर हुई है और थाइलैंड से विश्व के शेष देशों को निर्यातों का केवल 91.29 प्रतिशत जो भारतीय खपत का 3 प्रतिशत है, भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमत पर हुई है । इस कारण से शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, जबकि आयातों की मात्रा जिसमें वृद्धि होने की संभावना है, चीन के मामले में बहुत अधिक है, यह मात्रा थाइलैंड के मामले में बहुत कम है । इसके अलावा, चीन की आयात की मात्रा जो संभवत: स्थानांतरित की जानी है, का घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.	थाइलैंड	कुल
भारतीय मांग	मी.ट.	9,06,788	9,06,788	9,06,788
विश्व के शेष देशों को निर्यात की मात्रा				
सकल मात्रा	मी.ट.	4,18,903	25,551	4,44,454
भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमतों पर मात्रा	मी.ट.	4,12,005	23,324	4,35,330
कुल आयातों में हिस्सा	%	98.35%	91.29%	97.95%
भारतीय खपत में हिस्सा	%	45%	3%	48%

iii. अत्यधिक मालसूची

94. इन दोनों संबद्ध देशों में से किसी भी देश से किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है जहां से संबद्ध देशों में अत्यधिक मालसूची के बारे में सूचना प्राप्त की जा सकती है।

iv. विदेशी उत्पादकों के पास स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुमान लगाने के लिए कि चीन के उत्पादकों के पास स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य पर्याप्त उत्पादन क्षमताएं हैं। वुड मैकेंजी रिपोर्ट और सी सी एफ ग्रुप की रिपोर्ट पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया साक्ष्य दर्शाता है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताएं हैं जिन्हें नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	एफडीवाई
क्षमता	लाख मी.ट.	130.30
मांग	लाख मी.ट.	92.01
निर्यात योग्य अधिशेष	लाख मी.ट.	38.29
उत्पादन	लाख मी.ट.	85.59
क्षमता उपयोग	%	66%
अप्रयुक्त क्षमताएं	लाख मी.ट.	44.71
भारतीय मांग	लाख मी.ट.	9.07
भारतीय मांग के % के रूप में अप्रयुक्त क्षमताएं	%	492%

96. हालांकि, यह नोट किया जाता है कि थाइलैंड में इतनी अधिक अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं ।

विवरण	यूओएम	थाइलैंड
पीएफवाई के लिए कुल क्षमता	लाख मी.ट.	4.62
क्षमता उपयोग	%	82%
निर्यातकों का उत्पादन	लाख मी.ट.	3.79
पीएफवाई की अतिरिक्त क्षमता	लाख मी.ट.	0.82
कुल पीएफवाई में एफडीवाई का हिस्सा	%	35%
एफडीवाई की अतिरिक्त क्षमता	लाख मी.ट.	0.29
भारतीय मांग	लाख मी.ट.	9.07
भारतीय मांग के % के रूप में अप्रयुक्त क्षमताएं	%	9.15%

v. वर्तमान और पिछले पाटन मार्जिन का स्तर

97. मूल और पिछली निर्णायक समीक्षा में पाटन मार्जिन का स्तर बहुत अधिक था। वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक भी पाया गया है। हालांकि, जबकि थाइलैंड के मामले में पाटन मार्जिन सकारात्मक पाया गया है, यह देखा जाता है कि ये ऑफ ग्रेड के उत्पादों का आयात हैं। घरेलू उद्योग ने थाइलैंड से नियमित ग्रेड के एफडीवाई के बहुत अधिक पाटन होने को सिद्ध नहीं किया है। इस प्रकार, पाटित आयातों की मात्रा शुल्क को रद्द किए जाने की स्थिति में केवल चीन से बढ़ने की संभावना है।

vi. जांच की अवधि की बाद की अवधि का विश्लेषण

 98. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का निर्धारण करने के उद्देश्यों से जांच की अवधि की बाद की अवधि का विश्लेषण किया है। उसके संबंध में निम्नलिखित नोट किया जाता है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-2018	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि की बाद की अवधि (वार्षिकीकृत)
आयात की मात्रा-	मी. टन	288	23	36	113	-
चीन जन. गण.	सूचीबद्ध	100	8	13	39	-
आयात की मात्रा	मी. टन	25	22	37	53	-
– थाईलैंड	सूचीबद्ध	100	89	148	214	-
घरेलू बिक्री,	मी. टन	***	***	***	***	***
कैप्टिव खपत को छोड़कर	सूचीबद्ध	100	108	106	112	54
घरेलू उद्योग द्वारा	मी. टन	***	***	***	***	***
पीयूसी का उत्पादन	सूचीबद्ध	100	108	107	114	56
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	106	106	106
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
	Index	100	102	100	107	53
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	261	225	197	107
आबद्ध बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	116	52	56	72
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	170	169	170	252
बिक्रियों की	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
लागत	सूचीबद्ध	100	106	125	111	111
बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	115	108	104

99. इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं :

- जांच की अवधि की बाद की अवधि में या तो चीन जन. गण. अथवा थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है।
- ii. उत्पादन और घरेलू बिक्री दोनों घट कर जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि की बाद की अवधि में आधे से कम हो गई।
- iii. यह क्षमता जांच की अवधि और जांच की अवधि की बाद की अवधि में एक जैसी रही।

- iv. क्षमता के उपयोग में भी जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि की बाद की अवधि में गिरावट आई।
- v. जांच की अवधि की बाद की अवधि में औसत मालसूची जांच की अवधि में मालसूची का दुगुना था।
- vi. जबकि जांच की अवधि और जांच की अवधि की बाद की अवधि में बिक्री की लगात लगभग वही रही, जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि की बाद की अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई ।
- vii. जांच की अवधि की बाद की अवधि में विश्वव्यापी महमारी और इससे संबद्ध लॉकडाउन देखा, जिसका उत्पादन, मांग और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

ञ. क्षति और क्षति मार्जिन का परिमाण

100. चीन जन.गण. और थाइलैंड से आयातों की पहुंच मूल्य से तुलना किए जाने पर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक क्षति मार्जिन को दर्शाता है। हालांकि यह देखा जाता है कि थाइलैंड के मामले में क्षति मार्जिन ऑफ ग्रेड की वस्तुओं और न कि एफडीवाई के नियमित ग्रेड की वस्तुओं के लिए है।

संबद्ध देश	उत्पादक	निर्यातक	एन आई पी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %
			रू./मी. टन	रू./मी. टन	रू./मी. टन	%	रेंज
चीन जन. गण.	सभी	सभी	***	96,228	***	***	0-20
थाईलैंड	सभी	सभी	***	84,477	***	***	0-20

<u> प्रकटन पश्चात विवरण</u>

101. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी ने पुनरावृतियों जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच और समुचित रूप से समाधान इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में किया जा चुका है, सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोधों की जांच की है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोधों की जांच की है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोधों की जांच की है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोधों की जांच की है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोधों की जांच की है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे पिए गए अनुसार की गई है:-

ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 102. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि वर्तमान स्थिति में संचयी विश्लेषण उपयुक्त है और तद्नुसार, कीमत संबंधी प्रभाव का आकलन करने के लिए उसे अवश्य किया जाना चाहिए ।
 - ii. जबकि अन्य देशों से काफी अधिक मात्रा में आयात हुए हैं, उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है
 । इस कारण से अन्य आयातों को किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं मान जा सकता है ।
 - iii. इस नियमावली के अंतर्गत आबद्ध खपत सूची बद्ध मानदंड नहीं है। किसी भी स्थिति में गुप्त रूप से खपत की गई मात्रा नगण्य है अर्थात वह कुल बिक्री का केवल 0.9 प्रतिशत है। इस कारण से, इस प्रकार की कम मात्राओं पर विचार घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 - iv. जांच की अवधि की बाद की अवधि में कोई आयात नहीं हुआ है। हालांकि, केवल आयातों की मात्रा संभावना के विश्लेषण के लिए एक कारक नहीं है, बल्कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद नगण्य मात्रा में आयात स्वयं आयात की संभावना को दर्शाता है।
 - v. अत्यधिक क्षमताओं के संबंध में कोई प्रतिकूल अनुमान उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग से नहीं निकाला जाना चाहिए।

- vi प्राधिकारी ने अनुमानित अधिशेष क्षमताओं के संबंध में अपनी स्वयं की टिप्पणियों को रिकॉर्ड नहीं किया है । हालांकि, चूंकि प्राधिकारी ने अपनी जांच में अधिशेष क्षमताओं को अनुमान लगाने के लिए वुड मकेंजी रिपोर्ट और सी सी एफ ग्रुप की रिपोर्ट को नोट किया है, आवेदक का यह विश्वास है कि प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि नीचे दी गई रिपोर्ट अधिशेष क्षमताओं को दर्शाती है ।
- vii. जबकि जांच की अवधि की बाद की अवधि में कोई आयात नहीं हुआ है, घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग और मालसूची को हानि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। हालांकि आवेदक यह अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा मानी गई अवधि कोविड-19 और और उसके बाद भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉक डाउन से प्रभावित हुई थी। इस कारण से, घरेलू उद्योग के मानदंडों पर अन्य कारकों, जो वर्तमान जांच से संबंधित नहीं थे, का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- viii. ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के उत्पादन की आदर्शतम लागत के आधार पर किया गया है । संपूर्ण रूप में घरेलू उद्योग की भारित औसत लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक और तर्कसंगत होगा ।
- ix. थाइलैंड के मामले में, आदर्शतम लागत पर विचार करने से उत्पादकों को उन्हें कमतर सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की अनुमति देकर असहयोग के लिए लाभ मिलता है। इसके विपरीत, उच्चतम सकारात्मक सामान्य मूल्य पर विचार ऐसी परिस्थिति में प्राधिकारी से सहयोग करने के लिए किया जाना चाहिए।
- x. आवेदक ने पूर्व में किए गए अपने अनुरोधों को दोहराया है कि चीन जन.गण. के पास 30.07 लाख की सीमा तक अतिरिक्त क्षमताएं हैं, जो भारतीय मांग का 332 प्रतिशत है जबकि थाइलैंड के पास सीसीएफ ग्रुप और वुड मेकेंजी रिपोर्ट के आधार पर 0.29 लाख की अतिरिक्त क्षमताओं का अनुमान लगाया गया है।
- xi. तीसरे देश से पाटन, चीन जन गण में उत्पादकों द्वारा क्षमता का आगे विस्तार और एफडीवाई की कीमत में गिरावट तथा एफडीवाई और पीओवाई के बीच अंतर पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है ।
- xii. किसी भी प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का विरोध नहीं किया है ।
- xiii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के 26 उत्पादकों के अलावा, कुछ अन्य छोटे-छोटे उत्पादक हैं, जिनका कुल मिलाकर भारतीय क्षमता में लगभग 1 प्रतिशत का योगदान है। देश में क्षमता वर्तमान मांग से अधिक है और उसके कारण घरेलू उत्पादकों के बीच कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा होती है। इसके परिणामस्वरूप, पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने पर भी, घरेलू उत्पादकों ने अपनी कीमतों को अनुचित रूप से नहीं बढ़ाया।
- xiv. 15,000 करोड़ रूपए की राशि इस अवधि के दौरान इस उद्योग में निवेश की गई है और इस निवेश की औसत आयु 8 वर्ष है। उद्योग का 9,000 करोड़ रूपए का कारोबार है और यह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। एफडीवाई का उत्पादन अधिक पूंजी लगने वाली प्रकृति का है।
- xv. अप-स्ट्रीम पीटीए और एमईजी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में निवेश में किया गया है और यह लगभग 36,000 करोड़ रूपए है । ये उत्पाद लगभग 73.7 लाख मी.ट. के कुल उत्पादन के साथ लगभग 5,000 लोगों को आगे रोजगार उत्पन्न करता है ।
- xvi. भारत में उपयोग की गई मशीनों की तुलना विश्व में सर्वश्रेष्ठ मशीनों से की जा सकती है और वे अधिकतम आदर्शतम उपयोगिता खपत मानदंडों पर सर्वोत्तम कोटि के यार्न का उत्पादन कर सकते हैं।
- xvii. जबकि इस उद्योग ने क्षमता में वृद्धि करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया है, प्रचालन दरों में 67 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ।
- 37
- xviii. एफडीवाई उद्योग द्वारा किया गया उत्पाद और प्रक्रिया संबंधी अभिनवता से बेहतर कोटि के उत्पादों का निर्माण करने में सहायता मिली है और इससे डाउन स्ट्रीम उत्पादकों तथा अंतिम उपभोक्ताओं, दोनों को धन के लिए बेहतर मूल्य मिला है। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्र उत्पादों के लिए बेहतर ब्रांडिंग बनाने में भी सहायता मिली है।
- xix. भारतीय एफडीवाई उद्योग आत्मनिर्भर भारत पहल में एक प्रमुख अंशदाता है ।
- xx. यदि पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया जाता है तब यह चीन के निर्माताओं को विशेषकर वैश्विक मांग को पहले से ही प्रभावित करने वाले कोविड-19 महामारी के साथ पाटन करने का आधार उपलब्ध कराएगा और इस प्रकार से इस देश में एफडीवाई उद्योग नष्ट हो जाएगा ।
- xxi. पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को संरक्षण नहीं देता है बल्कि समान अवसर को स्थापित करने के लिए कीमत में कटौती का एक माध्यम बनता है और भारतीय उद्योग को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है ।
- xxii. चीन जन.गण. में उत्पादक अनुचित प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हैं क्योंकि वे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और उनकी पहुंच कमतर लागतों पर कच्चे माल, श्रमिक, पूंजी और उपयोगिता तक है । यह उन्हें अंतर कीमतों पर उत्पाद का निर्यात करने की अनुमति देता है जिससे भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है ।
- xxiii. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना घरेलू एफडीवाई उद्योग की सततता और नए निवेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने से डाउन स्ट्रीम उपभोक्ताओं को केवल 0.141 प्रतिशत से 0.513 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा लेकिन घरेलू उद्योग की स्थिति घटकर लाभ न प्राप्त करने वाली स्थिति हो जाएगी।
- xxiv. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में घरेलू उद्योग को बताया जा सकता है क्योंकि सामान्य मूल्य इनके अपने आंकड़ों के आधार पर हैं और निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर है ।
- xxv. यदि घरेलू उद्योग चीन जन.गण. के लिए पहुंच कीमत से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य होता है, तब यह समुचित लाभ तथा तर्कसंगत लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं होगा ।
- xxvi. भारतीय बाजार की अधिशेष क्षमताओं के होने और कीमत की आकर्षकता के रहने के बावजूद पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के बाद मामूली मात्रा में आयात यह दर्शाता है कि ये उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के कारण अपनी वस्तुओं के लिए एक बाजार प्राप्त करने में सक्षम नहीं है ।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 103. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को यहां नीचे पुन: दिया गया है :
- i. प्राधिकारी ने इंडोरामा पालिएस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड के दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के इस अनुरोध को रिकॉर्ड पर नहीं लिया है कि वे अब नाखोनपाथेम, थाइलैंड में अपने प्राथमिक उत्पादन स्थल पर संबद्ध वस्तुओं के किसी ग्रेड का निर्माण नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा, यह कि इंडोरामा पालिएस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड की भविष्य में कोई विस्तार योजनाएं नहीं हैं। इस कारण से उनके विरूद्ध वर्तमान समीक्षा समाप्त की जा सकती है।
- ii. याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के बारे में नहीं बताया गया है । यद्यपि, न केवल आवेदकों, बल्कि समर्थकों और अन्य उत्पादकों की स्थिति के बारे में भी बताने के लिए प्राधिकारी की सतत कार्य पद्धति है ।
- iii. ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि निर्णायक समीक्षा जांच में, घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाया जाना आवश्यक नहीं है । इस नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में अनिवार्य कानूनी आवश्यकता तथा याचिकाकर्ताओं की स्थिति का न केवल पता लगाने के लिए बल्कि इस स्थिति के उद्देश्य से प्रमुख अनुपात के रूप में प्राधिकारी द्वारा माने गए अनुपात के बारे में बताने के लिए भी प्राधिकारी की सतत कार्य पद्धि है।

- [PART I—SEC. 1]
- iv. प्राधिकारी ने भी इसके बारे में नहीं बताया है कि क्यों वूड मेकेंजी रिपोर्ट, सीसीएफ ग्रुप की रिपोर्ट और ट्रेडमैप रिपोर्ट जैसी विभिन्न रिपोर्टों जिस पर प्राधिकारी द्वारा विश्वास किया गया है, मै. इंडोरामा पालिएस्टर इंडस्ट्रीज को प्रकट नहीं किया गया है ।
- प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि प्राधिकारी के पास वह कौन सी सर्वोत्तम सूचना उपलब्ध है, जिसके आधार पर इसने सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- vi घरेलू उद्योग ने आर्थिक मानदंडों में सुधार दर्शाया है। यदि किसी आर्थिक कारक ने बढ़ती हुई प्रवृति को नहीं दर्शाया है तब ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि घरेलू उद्योग ने 2017-18 में अपनी क्षमता में वृद्धि की थी, जिसके फलस्वरूप वित्त लागत और उच्च न्यूनीकरण लागत हुई है। घरेलू उद्योग इस कीमत पर कब्जा बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और संबद्ध देशों से बहुत कम मात्रा में आयातों के द्वारा यह बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है। मालसूची, उत्पादन और मांग का एक कार्य है तथा घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई मालसूची बिक्री के उद्देश्य से संबद्ध वस्तुओं के भंडार की स्वस्थ प्रवृति को ही दर्शाता है।
- vii. प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए क्षति मार्जिन के मौजूद होने पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वास्तविक क्षति हुई है ।
- viii. आयातों की मात्रा जांच की अवधि में न केवल नगण्य है बल्कि यह जांच की अवधि की बाद की अवधि में थाइलैंड से शून्य है और इस प्रकार थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है ।
- ix. थाइलैंड से आयात लगभग 53 मी.टन मात्र है जो भारत में कुल मांग का लगभग 0.005 प्रतिशत है । इस प्रकार, प्राधिकारी को थाइलैंड के विरूद्ध वर्तमान समीक्षा जांच को समाप्त करना ही चाहिए ।
- x. थाइलैंड से आयात भारत में उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका बहुत अधिक ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ता है और न तो इस बात की कोई संभावना है कि भविष्य में ये आयात न्यूनकारी और ह्रासकारी कीमतों पर भारत में होंगे । प्राधिकारी को यह अवश्य नोट करना चाहिए कि घरेलू उद्योग द्वारा उठायी जा रही क्षति, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण रूप से अन्य देशों से आयातों की बहुत अधिक मात्रा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसका कुल आयातों में 99.40 प्रतिशत हिस्सा है और इसके अलावा, वे कीमतें जिन पर ऐसे आयात भारतीय बाजार में हो रहे हैं, भी बहुत अधिक हद तक कम है ।
- xi. जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया था । यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षमता का उपयोग, उत्पादन और बिक्री ऐसी अवधि में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी ।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 104. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियों/अनुरोधों तथा प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों/अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है ।
- ं. कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन दोनों संबद्ध देशों के लिए पाया गया है। हालांकि यह देखा जाता है कि थाइलैंड के मामले में क्षति मार्जिन संबद्ध वसतुओं के ऑफ ग्रेड और न कि इसके नियमित ग्रेड के संबंध में है।
- मांनी गई जांच की अवधि के बाद की अवधि में कोविड-19 महामारी और उससे संबद्ध लॉक डाउन की अवधि शामिल है और इसलिए जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए विश्लेषण अन्य कारकों से प्रभावित है।
- iii. रिकॉर्ड पर साक्ष्य यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं की पाटित आयातों की कम मात्रा स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में कम है । जबकि इन आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी, घरेलू उद्योग को घरलू बिक्री कीमतों पर किसी न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव के कारण हानि नहीं हुई थी। घरेलू उद्योग के समग्र कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है। हालांकि, यह देखा जाता है कि

यदि चीन जन.गण. के विरूद्ध शुल्क समाप्त होता है तब घरेलू उद्योग को पाटन और उसकी परिणामी क्षति की संभावना है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहा है। चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के लिए बहुत अधिक अधिशेष क्षमताएं हैं, भारत भी चीन जन. गण. से निर्यातों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है और पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में बहुत अधिक मात्राओं को भारतीय बाजार की ओर भेजा जा सकता है। जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा लागू पाटनरोधी शुल्कों के कारण ही कम है। यह भी देखा जा सकता है कि चीन जन.गण से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किया जाता है तब ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

- iv. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पिछले वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 1.5 गुना वृद्धि हुई है लेकिन यह कम रही है । जबकि, थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं का पाटन हुआ है, ये आयात केवल ऑफ ग्रेड उत्पादों के हुए हैं । इसके अलावा, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य थाइलैंड में बहुत अधिक अधिशेष क्षमताओं को नहीं दर्शाता है और थाइलैंड से निर्यात की कुल मात्रा भी कम है । इस कारण से प्राधिकारी यदि थाइलैंड के विरूद्ध इन शुल्कों को समाप्त भी होने दिया जाता है, तब घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना नहीं पाते हैं ।
- v. किसी भी प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क के जारी रखने का विरोध नहीं किया है । घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने के प्रभाव को दर्शाते हुए यह मानते हुए गणना उपलब्ध कराई है कि घरेलू उद्योग उत्पादन के लागत की स्तर तक इन कीमतों को कम करने के लिए बाध्य है (अर्थात घरेलू उद्योग कोई लाभ नहीं-कोई हानि नहीं के आधार पर बिक्री करता है)। यह दर्शाया गया है कि उपभोक्ताओं को पाटनरोधी शुल्क के वापस लिए जाने का प्रभाव को दर्शाते हुए यह मानते हुए गणना उपलब्ध कराई है कि घरेलू उद्योग उत्पादन के लागत की स्तर तक इन कीमतों को कम करने के लिए बाध्य है (अर्थात घरेलू उद्योग कोई लाभ नहीं-कोई हानि नहीं के आधार पर बिक्री करता है)। यह दर्शाया गया है कि उपभोक्ताओं को पाटनरेाधी शुल्क के वापस लिए जाने का लाभ ऐसी स्थिति में भी 0.141 प्रतिशत 0.513 प्रतिशत की सीमा में ही होगी।
- vi भारत में इस उद्योग की स्थिति के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इस देश में संबद्ध वसतुओं के 26 से अधिक उत्पादक हैं जो एकसाथ 9,000 करोड़ रूपए का कारोबार करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं । घरेलू उद्योग, यह तर्क देते समय कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना वर्तमान निवेशों की व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है और एफडीवाई उद्योग में नए निवेश प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है । यह प्रमुखता से दर्शाया है कि चीन के उत्पादकों ने बहुत अधिक मात्रा में क्षमताओं का निर्माण किया है, उन्हें अनुचित लाभ मिलता है और वे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें कमतर कीमतों पर इनपुट मिलता है जो उन्हें कमतर कीमतों पर इस उत्पाद का निर्यात करने की अनुमति देता है ।

ठ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

- 105. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थित स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से आयातों पर किसी भी रूप में प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- 106. यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद के कीमत स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपाय यदि विशेषकर पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग की क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो, के द्वारा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन कार्य-पद्धतियों द्वारा प्रप्त के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा की क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो, के द्वारा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन कार्य-पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त किया जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट को रोका जाएगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ड. निष्कर्ष

- 107. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों और उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, के संबंध में तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
 - क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है ।
 - ख. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है और इसे वर्तमान अवधि के दौरान क्षति नहीं उठानी पड़ी है ।
 - ग. यदि पाटनरोधी शुल्क को चीन जन.गण. से आयातों के विरूद्ध समाप्त होने दिया जाता है तब घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने/उसके फिर से होने तथा परिणामी क्षति की संभावना को रिकॉर्ड पर सूचना दर्शाती है। यदि पाटनरोधी शुल्क को थाइलैंड से आयातों के विरूद्ध समाप्त होने दिया जाता है तब रिकॉर्ड पर सूचना क्षति की संभावना को नहीं दर्शाती है।

ढ. सिफारिशें

- 108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना देने के लिए समुचित अवसर दिया गया था।
- 109. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि चीन जन.गण. से आयातों के विरूद्ध मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तब पाटन और क्षति के जारी रहने/उसके फिर से होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि चीन जन.गण. से विचाराधीन के उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाना अपेक्षित है। हालांकि थाइलैंड से पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश इस उत्पाद के आयातों पर नहीं की जाती है ।
- 110. प्राधिकारी इन परिस्थितियों में, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करने के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि चीन जन.गण. से नीचे दी गई तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शायी गई राशि के बराबर निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाए।

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उत्पत्ति का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5402	पोलिस्टर के पूर्ण रूप से निकाले गए अथवा पूर्ण रूप से उन्मुख यार्न / स्पिन ड्रान यार्न / फ्लैट यार्न (बिना टेक्सचर किए गए और गैर पी ओ वाई)*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	547	मी.ट.	यू.एस. डलर
2	- वही -	पोलिस्टर के पूर्ण रूप से निकाले गए अथवा पूर्ण रूप से उन्मुख यार्न / स्पिन ड्रान यार्न / फ्लैट यार्न	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई भी	चीन जन.गण.	कोई भी	547	मी.ट.	यू.एस. डलर

<u>शुल्क तालिका</u>

(बिना टेक्सचर	किए देश			
गए और गैर पी	ं ओ			
वाई)*				

नोट:- सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा । ऊपर में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद तब भी पाटनरोधी शुलक के अध्यधीन होना चाहिए जब इसका आयात किसी अन्य एच एस कोड के अंतर्गत किया जाता हो ।

* कम गलन बिन्दु अर्थात 110 डिग्री सेल्सियन से 170 डिग्री सेल्सियन के बीच, वाले एफडीवाई को छोड़कर

ण. आगे की प्रक्रिया

111. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के खिलाफ इस सिफारिश के कारण की जाने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी ।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2020

FINAL FINDINGS

Case No. SSR-06/2020

Subject : Sunset Review Anti-Dumping investigation concerning imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/ Spin Drawn Yarn/ Flat Yarn of Polyester originating in or exported from China PR and Thailand.

F. No. 7/9/2020-DGTR.—A. BACKGROUND

- 1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") had initiated the original anti-dumping investigation in respect of the imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/ Spin Drawn Yarn/ Flat Yarn of Polyester (hereinafter referred to as the "subject goods" or "Product Under Consideration" or "PUC") originating in or exported from China PR and Thailand on 6th May, 2008. Preliminary anti-dumping duties (ADD) were recommended vide Notification No. No.14/3/2008-DGAD dated 23rd January, 2009 and imposed vide Notification No. 29/2009-Customs (ADD) dated 26th March, 2009. Thereafter, definitive ADD were recommended for imposition on China PR and Thailand vide Notification No. No. 14/3/2008-DGAD dated 29th September, 2009 and the same were imposed vide Notification No. 124/2009-Customs (ADD) dated 11th November, 2009. A Sunset Review (SSR) investigation was initiated vide Notification No. 15/03/2014- DGAD dated 24th March, 2014. The extension of ADD was recommended vide Notification No. 15/03/2014-DGAD dated 22nd September, 2015 and the same was imposed by the Central Government vide Notification No. 51/2015-Customs (ADD) dated 21st October, 2015.
- 2. Whereas, in terms of the Act and the Rules, the ADD imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.
- 3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

- 4. And, whereas, in terms of the above provisions, the Association of Synthetic Fibre Industry (hereinafter also referred to as the "Applicant" or "Domestic Industry") has filed an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, for initiation of an SSR investigation against imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, and requested for extension of ADD. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of the imposition of ADD on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject country. The Applicant has further argued that the expiry of the measure against the subject countries is likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.
- 5. Whereas, the Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 7/9/2020-DGTR dated 15th April, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigations in accordance with Rule 6(1) of the Rules to examine as to whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.
- 6. After the initiation of the subject investigation, the Central Government issued its Notification No 32/2020-Customs (ADD) dated 19th October, 2020 extending the ADD in force on the import of the subject originating in or exported from the subject country up to 30th November, 2020.
- 7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

B. <u>PROCEDURE</u>

- 8. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to this subject investigation:
 - i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.
 - ii. The Authority issued a Notification dated 15th April, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the Domestic Industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 60 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - v. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in the subject country, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s Zhejiang Tongkun, China PR;
 - b. M/s Zhejiang Yifeng, China PR;
 - c. M/s Jiangsu Shenghong, China PR;
 - d. M/s Zhejiang Xinfengming, China PR;
 - e. M/s Rongsheng Petrochemical Group Co., Ltd, China PR;
 - f. M/s Jiangsu Hengli, China PR;
 - g. M/s Zhejiang Rongsheng (former Cifu), China PR;
 - h. M/s Zhejiang Guxiandao, China PR;
 - i. M/s Jiangsu (Taicang) Minghui, China PR;
 - j. M/s Jiangsu Haixin Group, China PR;

- k. M/s Zhejiang Great Southeast Group, China PR;
- 1. M/s Zhejiang Jiabao New Fiber, China PR;
- m. M/s Zhejiang Yuandong, China PR;
- n. M/s Zhejiang Hailide, China PR;
- o. M/s Jiangsu Zhenhui (Xiangtang Group), China PR;
- p. M/s Ying Xiang Shengze, China PR;
- q. M/s Fujian Jinxing, China PR;
- r. M/s Heng Li Petrochemical, China PR;
- s. M/s Zhejiang Youfu New Fibers, China PR;
- t. M/s Fujian Jingwei, China PR;
- u. M/s Jiangsu (Taicang) Changle, China PR;
- v. M/s Jiangsu (Wujiang) Lixin, China PR;
- w. M/s Zhejiang Huaxin, China PR;
- x. M/s Zhejiang Fengming Group, China PR;
- y. M/s Fujian (Changle) Shanli, China PR;
- z. M/s Jiangsu (Wujiang) Xinmin, China PR;
- aa. M/s Tian Long Group, China PR;
- bb. M/s Zhejiang Jinxin, China PR;
- cc. M/s Jiangsu Fudong (Xinsheng), China PR;
- dd. M/s Zhengdong Textile, China PR;
- ee. M/s Zhejiang Jinsheng (Very Fiber) Development, China PR;
- ff. M/s Performance Fibres Asia (Indorama), Hong Kong
- gg. M/s Zhejiang Jiuhua New Synthetic, China PR;
- hh. M/s Far Eastern Pudong, China PR;
- ii. M/s Zhejiang Shengbang, China PR;
- jj. M/s Wuxi Xinyuan Synthetic Fibre, China PR;
- kk. M/s Zhoushan Tianli, China PR;
- ll. M/s Hangzhou Huanchun, China PR;
- mm. M/s Tianjin Petrochemical, China PR;
- nn. M/s Dapu Chemical Fibres, China PR;
- oo. M/s Hainan Xing Ye, China PR;
- pp. M/s Zhejiang Jianjie, China PR;
- qq. M/s Wuxi Xinfang, China PR;
- rr. M/s Changle Jinfeng, China PR;
- ss. M/s Changle Hongji, China PR;
- tt. M/s Wuxi Jintong, China PR;
- uu. M/s Thai Polyester (TPC), Thailand;
- vv. M/s Sunflag, Thailand;
- ww. M/s Kangwal, Thailand;
- xx. M/s Indorama Polyester Industries, Thailand;
- yy. M/s Indo Poly (Thailand), Thailand;

- zz. M/s Oriental Fibre, Thailand;
- aaa. M/s Teijin Thailand (TJT), Thailand;
- bbb. M/s Thai Toray Synthetics (TTS) [TNT], Thailand;
- ccc. M/s Chiem Patana, Thailand;
- ddd. M/s Starsoleil, Thailand.
- vi. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- vii. The following producer/exporter from Thailand has filed submissions, but has not submitted an exporter's questionnaire response, citing that during the Period of Investigation it had exported miniscule quantity of the subject goods to India:
 - a. M/s Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Thailand
- viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the Authority, of subject goods in India, and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
 - a. M/s Titaanium Ten Enterprise Limited;
 - b. M/s Vardhman Yarns and Threads Limited;
 - c. M/s Ayush Texlene Limited;
 - d. M/s Export Packaging Solution;
 - e. M/s R D Jactex India;
 - f. M/s Shabnam Petrofils Pvt. Ltd.;
 - g. M/s Chandak Expo International;
 - h. M/s Arvind Limited;
 - i. M/s General Petrochemicals Limited;
 - j. M/s Pyung Hwa India Private Ltd.;
 - k. M/s Priya Yarns;
 - 1. M/s Sakshi Yarns Pvt Limited;
 - m. M/s Khurana Textile Mills Pvt. Ltd.;
 - n. M/s Suyog Synthetics;
 - o. M/s Nikunj Industries;
 - p. M/s Jay Shree Threads Private Limited;
 - q. M/s Shree Ram Synthetics;
 - r. M/s Sunil Fibres Pvt Ltd.;
 - s. M/s B. Braun Medical (India) Private Limited;
 - t. M/s Aaryan Enterprises;
 - u. M/s Polygenta Technologies Ltd.;
 - v. M/s Strata Exim Pvt Ltd.;
 - w. M/s Tulsi Udhyog;
 - x. M/s P.T.Varghese & Co.;
 - y. M/s Chinubhai Kalidass & Bros.;
 - z. M/s Crossworld Freight Systems Pvt. Ltd.;
 - aa. M/s P.V.George Tharakan & Co;
 - bb. M/s Goyal Cargo Services;
 - cc. M/s Khimji Poonja Freight Forwarders Pv;

- dd. M/s Niranjan Shipping Agency Pvt. Ltd.;
- ee. M/s Allwin Shipping Services;
- ff. M/s Saraswati Clearing Agency;
- gg. M/s Asr Logistics (India) Pvt. Ltd.;
- hh. M/s National Clearing Forwarding Agency;
- ii. M/s Modern Clearing Agency;
- jj. M/s Om Namah Shivay Logistics International Private Limited;
- kk. M/s Divya Shipping & Clg. Services Pvt. Ltd.;
- ll. M/s Aarkay Cargo Services;
- mm. M/s St. John Freight Systems Ltd.;
- nn. M/s Greenity Logistics Pvt. Ltd.;
- oo. M/s Global Ocean Clearing Private Limited;
- pp. M/s Ratnakar Ramnarain Rai;
- qq. M/s Frontier Shipping Agencies Pvt Ltd.;
- rr. M/s Shree Vinayak Enterprises;
- ss. M/s Om Freight Forwarders Pvt. Ltd.;
- tt. M/s Killick Nixon Limited;
- uu. M/s Shivam Seatrans Private Limited;
- vv. M/s Rashmi Shipping Agency;
- ww. M/s Airsea Forwarders India Private Limited;
- xx. M/s Ultimate Marine Pvt. Ltd.;
- yy. M/s Sri Ganesh Forwarders Pvt. Ltd.;
- zz. M/s Bhagvati Impex;
- aaa. M/s Gaurav M. Jhaveri;
- bbb. M/s Three Aces Global Logistics Private;
- ccc. M/s Rank Logistics Pvt. Ltd.;
- ddd. M/s Baid International Services;
- eee. M/s Cargo Concepts (Bombay) Pvt. Ltd.
- ix. None of the importers or consumers of the product have filed the importer's questionnaire response in the prescribed format.
- x. Additionally, submissions/ comments were filed by following parties during the course of the investigation.
 - a. Sunheri Texcraft Pvt Ltd.
- xi. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file, kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7). Submissions made by all interested parties have been taken into account in the present final findings.
- xii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation has been considered from 1st January, 2019 to 31st December, 2019 (12 Months). The injury investigation period has been considered as 1st April, 2016 31st March, 2017; 1st April, 2017 31st March, 2018; 1st April, 2018 31st March, 2019, and the POI. The Authority has also considered 1st January, 2020 30th June, 2020 as the Post-POI for the purposes of examination of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury analysis.
- xiii. Additional/supplementary information was sought from the Applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters/producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.

- xiv. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. It has been worked out so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xv. Information provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise basis for the past three years, and the POI has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 22nd October, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- xviii. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- xx. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 7th November, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant have been examined in these final findings.
- xxi. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is US1 = Rs. 71.34/-.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. The PUC, as in the original investigation and the first SSR, is fully drawn/ fully oriented yarn/ spin drawn yarn/ flat yarn of polyester [non-textured and non-Partially Oriented Yarn (POY)] and other yarns conforming to the tariff description of Customs Heading 5402.47. The product in market parlance is generally known as 'Fully Drawn Yarn' or FDY. Technical specifications of the subject goods are defined in terms of their deniers, tenacities, lustres, colours (like semi dull, bright, super bright, full dull, Dope dyed), cross section and shrinkage.

C.1. <u>Submissions made by the Domestic industry</u>

- 10. With regard to the PUC and like article, the domestic industry has made the following submissions:
 - i. The present investigation being an SSR investigation, the PUC remains the same as defined in the original as well as the previously conducted SSR investigation. Further, no significant development has taken place over the period. Therefore, the Domestic Industry refers to and relies upon the previous investigation with regard to the PUC and like article.
 - ii. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioning domestic producers and those exported from the subject countries. The two are technically and commercially substitutable and the two are like articles.
- iii. The petitioning companies are engaged in the production of all variants of the subject goods and are capable of producing subject goods in a wide range of deniers, lustres, colours and cross-sections.

- iv. There is no difference in the technology adopted by the Domestic Industry and the manufacturers in the subject countries. The technology adopted by the Domestic Industry is comparable with the technology adopted by the manufacturers of the subject goods in the subject countries. However, every manufacturer fine-tunes its production process based on necessities and available facilities.
- v. The Applicant has acknowledged that the domestic producers in India are not producing low melt yarn, and the Applicant has no objection to its exclusion, provided it is clearly defined, to ensure that it does not lead to evasion of ADD on other products which are within the scope of the PUC. Low melt yarn may be defined as yarn having melting point between 110°C to 170°C.
- vi. LYCRA intermingled, partially oriented yarn, industrial yarn, bi component yarn, polyester spun yarn, PFY, polyester textured yarn, low melt, chenille, nylon, spendex, PBT and Cord have not been considered as part of the PUC. They are either variants of FDY or come under the same HS Code.

C.2. <u>Submissions made by other interested parties</u>

- 11. The following submission has been made by other interested parties in this regard:
 - i. There is a special FDY which has a special property of low melting point (100 degree or even lower) as compared to FDY which is the PUC in the current investigation (230 to 295 degree). The special FDY is used in making shoe upper fabrics, luggage/bag and curtain fabrics. The special FDY is not produced by any Indian manufacturer. Due to the ADD on FDY, every importer has to pay ADD on the low melting special FDY too, which adds up in the cost of shoe, luggage and curtain manufacturing.

C.3. Examination by the Authority

12. The PUC in the original investigations was defined in the Final Findings as follows:

"3. All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (nontextured and non-POY) and other yarns conforming to the tariff description of Customs Heading 5402.47".

4. The product in commercial market parlance is generally known as 'Fully Drawn Yarn'. The subject goods are used for manufacture of apparel / household textiles, and other industrial textiles.

5. Technical specifications of the subject goods are defined in terms of their deniers, tenacities, lustres, colours (like semi dull, bright, super bright, full dull, Dope dyed), cross section and shrinkage.

6. The subject goods are used for manufacture of apparel / household textiles, and for other industrial applications.

7. It has been submitted that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. Hence, the goods produced by the domestic industry are 'Like Article' to dumped goods from subject countries. There is no difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti-Dumping Rules."

- 13. The Authority holds that the present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as that of the original investigation. The customs classification is indicative and not binding on the scope of the present investigation. LYCRA intermingled, partially oriented yarn (POY), industrial yarn (IDY), bi component yarn (BCF), polyester spun yarn, PFY, polyester textured yarn (PTY), low melt, chenille, nylon, spendex, PBT and Cord have not been considered as part of the PUC.
- 14. The Authority notes that there is no known difference in the subject goods produced by the petitioner companies and those exported from the subject countries and that the two are like article.
- 15. The Authority notes that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioning domestic producers and those exported from the subject countries and that the two are technically and commercially substitutable.

16. Since Low melt yarn i.e. FDY with low melting point, i.e. between 110°C to 170°C, is not produced by the Domestic Industry, it is excluded from the scope of the PUC for the current investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

17. Rule 2(b) of the Rules defines Domestic Industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

D.1. <u>Submissions made by the Domestic industry</u>

- 18. Submissions made by the Domestic Industry in this regard are as follows:
 - i. The present petition has been filed by the Association of Synthetic Fibre Industry on behalf of its members. Further, Reliance Industries Limited and Wellknown Polyesters Limited have provided their complete costing and injury data for the purpose of the present petition. Further, the petition is supported by the following producers:
 - a. Alok Industries Limited
 - b. Bhilosa Industries Private Limited
 - c. Filatex India Limited
 - d. Garden Silk Mills Limited
 - e. Gokulanand Petrofibres Gujarat
 - f. Sanathan Textiles Private Limited
 - g. Shree Durga Syntex Private Limited
 - ii. In total, there are 26 producers of subject goods in India. Other than these, there are certain other minor producers, accounting for about 1% of the total Indian capacity in total.
- iii. Even amongst the 26 producers identified, most producers hold very small capacities, and account for only about 5% or less of the total Indian production. Apart from the petitioner companies, the only producers having significant production are Bhilosa Industries Private Limited and Filatex India Limited, of which Bhilosa in fact consumes 50-60% of its production captively.
- iv. The petitioning domestic producers, Reliance Industries Limited and Wellknown Polyesters Limited, account for ***% of the total domestic production, and together with the supporters constitute 81.13% of the total domestic production. Further, if the captive consumption by various producers is excluded, the share of Reliance Industries Limited and Wellknown Polyesters Limited would increase further.
- v. The above is without prejudice to the legal position that standing is not required to be determined in an SSR case. Standing is not applicable for sunset review under Rule 23. However, even then, the petitioning domestic producers and producers expressly supporting the petitioner account for more than 80% of the total domestic production.
- vi. The petitioning companies have not imported the subject goods into India during the POI.
- vii. The petitioning companies are not related to any exporter or importer of the subject goods.
- viii. The lack of participation by M/s Alok Industries and M/s Garden Silk is not relevant as the petitioning domestic companies constitute a major proportion, and no injury can be claimed. The Applicant cannot give reasons for other producers not providing data.
- ix. Reliance Industries Limited has taken over M/s Alok Industries Limited in September 2020 and no relationship between them existed during the POI.
- x. There is no exclusion of producers performing well as M/s Alok Industries Limited and M/s Garden Silk Mills Limited have suffered losses, while the petitioning companies show improvement in performance.

xi. When the exporter has itself not filed exporter's questionnaire response, it should not allege that supporters have not filed information in the prescribed format.

D.2. <u>Submissions made by other interested parties</u>

- 19. The submissions made by the interested parties in this regard are as follows:
 - i. For the present investigation, the petitioning Domestic Industry consists of Reliance Industries Limited and Wellknown Polyesters Limited. In the Final Findings dated 22nd September, 2015 of the previous SSR of the same PUC, the total share of the petitioners which also included M/s. Alok Industries Limited and M/s. Garden Silk Mills Limited along with the present petitioning companies was determined to be 52%. However, the combined share of Reliance Industries Limited and Wellknown Polyesters Limited was determined to be only 30%. It is also to be noted that according to the Statement of Indian Production, the share percentage of the domestic industry has declined from 100 index points in April 2016-March 2017 to 92 index points during the POI. From the above, it can be concluded that the share of the domestic industry has dropped even below 30%. Therefore, it is submitted that less than 30% share in total production cannot be considered as a major proportion.
 - ii. In the present investigation M/s. Alok Industries Limited and M/s. Garden Silk Mills Limited should be considered as the domestic industry as they constituted Domestic Industry in the previous SSR also for the same PUC. It is only possible to have a fair comparison of the performance of domestic producers both for the purpose of their performance as well as the standing once these two domestic producers are also considered as domestic industry.
 - iii. The Authority should not allow it to become a norm otherwise, in every SSR only the domestic producers which are having comparatively less performance would be made Domestic Industry and other domestic producers which constituted the Domestic Industry in the original or previous SSR would be excluded as their performance would have improved.
 - iv. Even in Annex-I submitted along with the Letters of Support, neither M/s. Alok Industries Limited nor M/s. Garden Silk Mills Limited has provided any reason when specifically asked for the 'reason for supporting this petition and not becoming co-petitioner in the instant case'.
 - v. In February 2020, Reliance Industries Limited acquired a 37.7% stake in M/s. Alok Industries Ltd. This raises doubt as to why M/s. Alok Industries Limited has not submitted complete data and has not been made a co-petitioner when Reliance Industries Limited and M/s. Alok Industries Ltd. are related entities and the former holds a substantial stake in the latter.
- vi. If a low share of even less than 30% is considered a 'major proportion' share, it will distort the likelihood analysis of the Domestic Industry.
- vii. Incomplete information has been submitted by the supporters. Non-submission of the prescribed information of the supporters by the Applicant in the petition is an egregious and blatant violation of the Trade Notices.
- viii. The Applicant has submitted that there are 26 producers of the subject goods in India. However, the source of this data has not been disclosed. Therefore, in the absence of a verifiable source and accuracy of this data, the same should not be considered by the Authority.

D.3. Examination by the Authority

- 20. The Application in the present case has been filed by Association of Synthetic Fibre Industry (ASFI) on behalf of the Domestic Industry. The following members (hereinafter referred to as the or "petitioning domestic producers') of ASFI have provided their complete costing information:
 - i. M/s. Reliance Industries Limited
 - ii. M/s. Wellknown Polyesters Limited
- 21. In addition to the two companies which have provided their costing data, the Applicant provided a list of three companies which supported the Application and another 22 companies which neither supported nor rejected the application. Vide letter dated 4th March, 2020, the Authority requested these 22 companies to intimate their views. In response, four out of these 22 companies expressed their support to the application.

22. As per the evidence available on record, the production of the petitioning domestic producers accounts for a major proportion in the total domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. <u>CONFIDENTIALITY</u>

E.1. Submissions made by the Domestic industry

- 23. Submissions made by the Domestic Industry in this regard are as follows:
 - i. Information related to M/s Alok Industries Limited and M/s Garden Silk Mills Limited is business proprietary information which the Applicant cannot disclose.
 - ii. NIP of the Domestic Industry, the number of employees, productivity and financial statements of Wellknown Polyester Ltd. are proprietary information.
 - iii. Reports of Wood Mackenzie and CCF group are proprietary documents of the market research agencies and the Applicant does not have a right to share them.
 - iv. The trends of parameters are required to be provided for the Domestic Industry, and not individual producers.
 - v. The domestic industry has justified each confidentiality claim made by it.

E.2. Submissions made by other interested parties

- 24. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:
 - i. The total production of the Domestic Industry has not been disclosed and even the percentage of share of the Domestic Industry has only been provided as a trend.
 - ii. The Applicant has not provided any evidence for adjustments made to compute the export price.
 - iii. The ocean freight from Thailand has been arbitrarily delineated as Rs. 4,280/MT without providing any evidence in support of the same.
 - iv. The Domestic Industry has not complied with Annexure I of the Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018.
 - v. The Applicant has mentioned that the source of data is Wood Mackenzie Report of December, 2019. However, no methodology has been provided by the Applicant as to on what basis such data was compiled or used. Even if it is assumed that the Applicant is claiming confidentiality with reference to this report, then also the Applicant should have provided the data in indexed numbers. The Applicant has also relied on the CCF Group report. The Applicant has not provided any methodology on the basis of which such data was compiled by CCF Group.

E.3. Examination by the Authority

25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

- 26. The Authority made the non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties.
- 27. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. <u>MISCELLANEOUS ISSUES</u>

F.1. Submissions made by the Domestic industry

- 28. The following submissions have been made by the Domestic Industry in this regard:
 - i. The imports have been segregated based on the description mentioned in the transaction-wise import data. Imports pertaining to lycra, nylon yarn, industrial yarn, partially oriented yarn, spandex, cord, polyester textures yarn, spun yarn, BCF, etc. have been excluded from the scope of the PUC. The methodology for compiling import data has been provided in para 17 of the Application.
 - ii. The injury period is consistent with Trade Notice 2/2004 and the Guidelines laid down by WTO Committee on Anti-Dumping Practices. The Manual of SOP is an internal guideline and cannot supersede the Trade Notice.
- iii. The period for which the duty has been in force is not a relevant criterion for determining whether there is need for continuation of ADD.

F.2. Submissions made by other interested parties

- 29. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:
 - i. Paragraph 5.8 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations by the Directorate General of Trade Remedies provides the Injury Investigation Period and the POI should be at least four (4) complete years. The POI and the Injury Investigation Period are not complete four years, and therefore, the period being considered by the Authority is completely in derogation of the Manual of Operating Practices.
 - ii. The Authority is requested to direct the Applicant to disclose the methodology used to compile import data of the PUC in the petition.

F.3. Examination by the Authority

30. The Authority notes that the POI in the present case is 12 months. As per Rule 2(da) of the Rules,

"period of investigation" means the period during which the existence of dumping is examined;"

31. Further, the explanation to Rule 22 (3) of the Rules states the following:

"For the purposes of these rules, the period of investigation shall,-

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.

(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months."

- 32. The Authority notes that the POI in the present investigation adheres to both Rule 2(da) and Rule 22(3) of the Rules. Further, the Authority notes that as mentioned in the Manual of Operating Practices, the Manual is a step-by-step internal instructions to guide officers of DGTR in their day-to-day work to improve efficiency, transparency, and accountability and is not intended to replace the Trade Notices/Circulars/ Instructions issued from time to time. Further, as mentioned in the Manual itself, Trade Notices and Circulars will prevail over the Manual, in case of any differences or contradictions. Also, as clearly stated in the Manual, information given therein cannot be cited in any dispute or litigation, nor is it a substitute for a legal interpretation/evidence.
- 33. The Authority notes that the Applicant has provided the methodology adopted to compile import data for the PUC.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Submissions made by the Domestic industry

- 34. Submissions made by the Domestic Industry in this regard are as follows:
 - i. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that marked conditions prevail in terms of provisions of Article 15(a)(i), of Accession Protocol.
 - ii. The Applicant has submitted that China PR has the largest production and consumption of the subject goods, followed by India. Since the share of other countries in the global production and consumption is much lower, it would not be appropriate to consider any other country as a surrogate country. Accordingly, the Applicant has claimed that the price payable in India should be considered appropriate for determination of normal value for China PR. The Applicant has claimed normal value on the basis of average cost of production of the Domestic Industry, along with reasonable addition of profits.
 - iii. The Applicant has claimed that the data relating to cost of production in Thailand is not available and has claimed the cost of production in Thailand on the basis of average cost of production in India.
 - iv. The Applicant has used import data collected from DGCI&S to make adjustments for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight expenses and VAT (for China PR) to derive Net Export Price.
 - v. The exporter cannot claim that the adjustments made by the Applicant with respect to the export price are not proper as it has not provided adjustments by filing a response.
 - vi. The exporter has not discharged its obligation to provide details of domestic selling price, cost and price of exports, and therefore, cannot now allege inconsistencies in information provided by the Applicant.
- vii. The exporter has not argued that relevant information is publicly available, and the domestic industry withheld it.
- viii. As held in Automotive Tyre Manufacturers' Association V. Designated Authority, the Domestic Industry cannot be expected to have information regarding the cost of production of the exporter and cannot be faulted for furnishing normal value on the basis of constructed cost of production.
- ix. The Applicant has provided the methodology for determination of normal value in the application and a profit margin of 5% has been added as per consistent practice of the Authority.
- x. The exporter has not asked for a PCN-wise comparison based on the quality of product and thus, off grade products do not have an impact on the dumping margin. It is a consistent practice of the Authority that the quality of product does not have any impact on the PCN methodology as held in the investigation concerning imports of Nylon (multi-filament) yarn from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand.

G.2 <u>Submissions made by other interested parties</u>

- 35. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:
 - i. The Applicant has alleged that the normal value for Thailand is constructed on the basis of best available information, considering the cost incurred by the Domestic Industry. The computation of normal value is erroneous. According to Explanation (c)(ii) to Section 9A(1) of the Act, one can only resort to constructed normal value in the following circumstances:
 - a. Where there are no sales of the like article in the domestic market of the exporting country;
 - b. When because of the particular market situation or low volume of sales in the domestic market of the exporting country such sales do not permit a proper comparison.
 - ii. Even if the above conditions exist, the normal value can only be constructed as:
 - a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country

h.

- the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and profits.
- iii. In the application, the Applicant has not proved that either of the above two conditions, mentioned in Explanation (c)(ii) to Section 9A(1) of the Act existed. The two conditions specified in the relevant provisions do not include 'not readily availability' of data relating to domestic selling prices in the exporting country as a ground for constructing normal value.
- iv. No evidence has been supplied by the Applicant that the costs have been calculated considering the cost incurred by the Domestic Industry.

G.3 Examination by the Authority

36. The Authority notes that only one producer/exporter namely M/s Indorama Polyester Industries Public Company Limited from one of the subject countries, i.e. Thailand, has filed injury submissions. None of the producers/exporters from either of the subject countries have filed exporter's questionnaire response :

Normal Value

- 37. Under Section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:
 - *i.* The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - ii. When there are no sales of the like articles in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-
 - a. Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Determination of Normal Value for China PR

38. The prices or constructed value of the PUC in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the Authority from any public source. Therefore, the normal value for China PR has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is indicated in the dumping margin table below.

Determination of Normal Value for Thailand

39. The Authority notes that none of the producers/exporters from Thailand have filed exporter's questionnaire response. In view of non-cooperation from all the producers/exporters in Thailand, the Authority has determined normal value on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Export Price

40. The Authority notes that none of producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire response. In view of non-cooperation from the producers/exporters of the subject countries, the export price for subject goods from the subject countries has been computed based on the DGCI&S transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and VAT (for China PR). The export price so determined is indicated in the dumping margin table below.

G.4 <u>Calculation of Dumping Margin</u>

41. The dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(l)(a) of the Act and is indicated in the following table:

Subject	Producer	Exporter	Normal Value	Export Price	Dumpi	ing Mar	gin
Countries			US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
China PR	All	All	***	***	***	***	0-20
Thailand	All	All	***	***	***	***	20-40

Dumping Margin Table

42. It is noted that the dumping margin for both China PR and Thailand is more than the *de-minimis* limit prescribed under the Rules.

H. INJURY AND CAUSAL LINK ANALYSIS

H.1 <u>Submissions made by the Domestic Industry</u>

- 43. Submissions made by the Domestic Industry in this regard are as follows:
 - i. In the case of a sunset review, Article 11.3 only requires investigating authorities to determine whether the expiry of the ADD would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Once it has been established that the cessation of ADD is likely to cause continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry, there is no requirement to establish the existence of a causal link between the likely dumping and likely injury.
 - ii. As held by the Appellate Body in US OCTG from Mexico, causal link is not required to be demonstrated in SSRs.
 - iii. In an SSR investigation, there may be a case where the Domestic Industry has not suffered injury due to dumped imports. That is, when the Domestic Industry has recovered from the injurious effects of dumping, owing to the duties in force. In such a situation, it must be examined whether there is likelihood of recurrence of dumping and injury, in the event of expiry of the ADD. The cessation of the present ADD is likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and the consequent injury to the Domestic Industry.
 - iv. Merely because the Domestic Industry has not suffered injury during the investigation period, does not imply that the ADD cannot be continued.
 - v. The volume of imports from the subject countries declined as a result of imposition of ADD. Similarly, the volume of imports in relation to domestic production and consumption is low only due to the existence of ADD.
 - vi. The specialty products include low melt yarn, bi-component yarn, mother yarn, bi-shrinkage yarn, etc. If imports from subject countries are seen, almost all imports of specialty yarns are of low melt yarns. If the imports of certain speciality yarns and samples are excluded, there is significant undercutting of prices of the petitioning Domestic Industry. The price of specialty and regular yarns is significantly different from each other, i.e. around 105% for imports from China PR and 118% for imports from Thailand.
- vii. The low priced imports and positive price undercutting show that in the event of the expiry of ADD, imports are likely to have a suppressing or depressing effect on the prices of the petitioning Domestic Industry.
- viii. The Domestic Industry has enhanced its capacity over the injury period in view of an increase in demand in the Indian market. As a result of the ADD, the Domestic Industry has been able to increase its production and sales over the injury period.
- ix. As the ADD has kept imports in check, the Indian industry has been able to hold its market. In the absence of ADD, imports will become more price attractive thereby, the demand for imported goods will increase.
- x. The inventories of the Domestic Industry have increased over the injury period.

- xi. The number of employees has reduced in the Domestic Industry but the wages have increased marginally over the injury period. Further, there has been an increase in the productivity and productivity per employee of the Domestic Industry.
- xii. The volume and price parameters have grown as a result of the ADD in force.
- xiii. Owing to the ADD in force, the profitability of the Domestic Industry has improved.
- xiv. That Wellknown Polyesters Ltd. expected its revenue to increase during the tenure of the ADD i.e. in 2019-20, does not indicate that it expects its revenue to keep increasing in the absence of ADD.
- xv. Paragraph (vii) of Annexure II does not provide an exhaustive list of parameters to be shown in a likelihood case.
- xvi. The Applicant has already demonstrated sufficient freely disposable capacities, imminent substantial increase in capacities and imports entering at prices likely to cause suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry in absence of duties.
- xvii. Contrary to the claims of the exporter, the dumping margin and injury margin for Thailand is positive and significant.
- xviii. The Domestic Industry was not forced to reduce its price when the landed price declined, only because of the ADD in force. If ADD is removed the landed price will be lower than the selling price and will create a strain on domestic industry prices.
- xix. As the exporter has not filed Part II of the questionnaire, it cannot now claim that there is inadequate information on record regarding likelihood from Thailand. The Applicant has given complete information demonstrating likelihood of continuation of dumping and consequent injury including price attractiveness of India.
- xx. The volume of imports from other countries is not relevant as such imports have not caused injury to the Domestic Industry and are not likely to do so in the future.
- xxi. It is evident from the following that the Domestic Industry has not and is not likely to suffer injury due to any other factors:
 - a. While there are significant imports from Indonesia, Korea RP and Malaysia, the same have not caused injury to the Domestic Industry, as is evident from its improved performance.
 - b. The demand for the subject goods has increased over the injury period. Therefore, the injury to the Domestic Industry is not likely due to any contraction in demand.
 - c. The technology and the production process have not undergone any major development, and thus, no injury is likely on that account.
 - d. There are no trade restrictive practices or conditions of competition that are likely to affect the performance of the Domestic Industry.
 - e. Further, there has been no material change in the pattern of consumption of the subject goods, which may result in injury to the Domestic Industry.
 - f. The data provided relates exclusively to the subject goods, and therefore, the performance of other products is not relevant.

H.2 Submissions made by other interested parties

- 44. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:
 - i. It is an admitted fact by the Applicant that the Domestic Industry has not suffered any injury due to imports from the subject countries. The Applicant has exhibited positive and exceptional movement in almost all the factors of injury which may also be considered by the Authority.
 - ii. Imports from Thailand as a percentage of total demand constituted a mere 0.01% in the POI. The volume of imports is negligible especially from Thailand and there exists no likelihood of recurrence of injury to the Domestic Industry by the volume of subject imports. It is a settled practice of the Authority to terminate an anti-dumping investigation against a subject country when the volumes of imports from that country are either low or negligible. The Authority must undertake a separate examination of imports originating in Thailand.

56	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
iii.	There is no present or future injury in terms of price of the subject imports and further, imports are not capable of influencing the domestic selling price.
iv.	If the domestic sales were linked with the landed price of imports, then during the POI when there was a reduction in the landed price of imports, the domestic sales would have also undergone a corresponding decline.
v.	It is an established practice of the Authority to see causal link in SSR investigations.
vi.	The imports from third country should also be considered by the Authority.
vii.	The Domestic Industry has received adequate protection since the imposition of a provisional duty in the original investigation. The Domestic Industry has flourished after such imposition and the volume of imports are now negligible.
viii.	The Applicant has submitted that there is significant price difference between the specialty yarn and regular yarn. However, such comparison should not be made with respect to the imports from Thailand as the imports from Thailand of the specialty yarn are only 0.05 MT as is mentioned by the Applicant in the written submissions. The quantity of import of specialty yarn are too less to be made a fair comparison with the regular yarn. Further, the table provided by the Applicant does not mention any source for such data and raises doubts about its reliability.
ix.	'Employment' is an economic factor which has to be examined for the determination of injury. It should only be interpreted to mean that if the Applicants have significant employment then it is one of the factors to demonstrate that the Domestic Industry is performing well and there is no need for the continuation of ADD.
Н.3	Examination by the Authority
<u>Cum</u>	ulative assessment of injury
45	Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Appexure II of the Rules provides that in case where

- 45. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to antidumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than 2% expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than 3%, the imports collectively account for more than 7% of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported and the like domestic articles.
- 46. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
- 47. The submissions made by the Domestic Industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

H.3.1 Assessment of Demand and Market Share

48. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
	MT *** *** ***		***	***	
Sales of Domestic Industry	Index	100	108	106	112
Captive Consumption of	MT	***	***	***	***
Domestic Industry	Index	100	116	52	56
Sales of Supporters &	MT			***	***
Other Producers	Index	100	106	128	135
Imports from Subject			45	73	166
Countries	Index	100	14	23	53
Internet from Chine DD	MT	288	23	36	113
Import from China PR	Index	100	8	13	39
Increase from Theilord	MT 25 22		22	37	53
Imports from Thailand	Index	100	89	148	214
Imports from Other	MT	20,998	22,436	25,404	27,495
Countries	Index	100	107	121	131
Total Demand (without	MT	7,17,623	7,67,663	8,60,632	9,06,788
captive consumption)	Index	100	107	120	126
Total Demand (with	MT	7,18,136	7,68,258	8,60,899	9,07,073
captive consumption)	Index	100	107	120	126
Market Share					
Domostia Industry	%	***	***	***	***
Domestic Industry	Index	100	101	89	89
Captive Consumption of	%	***	***	***	***
Domestic Industry	Index	100	108	43	44
Supporters & Other	orters & Other % ***		***	***	***
Producers	Index	100	100	107	107
Subject Countries	%	0.04	0.006	0.008	0.018
Subject Countries	Index	100	13	19	42
Other Countries	%	2.92	2.92	2.95	3.03
Other Countries	Index	100	100	101	104
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

- 49. The Authority notes that the demand for the PUC recorded an increasing trend throughout the injury period, including in the POI. While in absolute terms the sales of the Domestic Industry increased from the base year to the POI, in relative terms, the share of the Domestic Industry decreased from the base year to the POI.
- 50. In both absolute and relative terms, imports declined from the base year to 2017-18, and increased thereafter to the POI. However, the volume of imports from subject countries has remained low throughout the period.

H.3.2 Volume and Price Effect of the dumped imports on the Domestic industry

i. Volume Effect: Import Volume and share of subject countries

51. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Import Volume					
Subject	MT 313		45	73	166
Countries	Index	100	14	23	53
China PR	MT	288	23	36	113
China PK	Index	100	8	13	39
Thailand	MT	25	22	37	53
Thanana	Index	100	89	148	214
Other countries	MT	20,998	22,436	25,404	27,495
Other countries	Index	100	107	121	131
Total Iron outs	ts MT 21,310 Index 100	22,481	25,477	27,661	
Total Imports		105	120	130	
Share in Total Ir	nports	· · ·	·		
China PR	%	1.35	0.10	0.14	0.41
China PK	Index	100	8	11	30
Thailand	%	0.12	0.10	0.14	0.19
Thanana	Index	100	85	124	165
Other countries	%	98.53	99.80	99.71	99.40
Other countries	Index	100	101	101	101
Subject Imports	in relation to:				
Demand	%	0.04	0.006	0.008	0.018
Demanu	Index	100	13	19	42
Indian	%	0.04	0.01	0.01	0.02
Production	Index	100	14	20	43

52. The Authority notes that the volume of imports of the PUC from the subject counties in the POI was almost at half of the level of the base year. Imports from the subject countries declined in 2017-18 and thereafter recorded an increasing trend. Imports of the PUC from China PR declined from the base year to the POI and that from Thailand more than doubled. In relation to consumption and production in the country, subject imports recorded a similar trend from the base year to the POI. In absolute terms and in relation to both consumption and production in the country, imports from subject countries declined from the base year to 2017-18 and thereafter increased up to the POI. Imports from other countries have continued to rise throughout the injury period, including in the POI. However, the volume of imports from subject countries has remained low throughout the period.

H.3.3 Price Effect of dumped imports and impact on the Domestic Industry

- 53. With regard to the effect of dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
- 54. Accordingly, the impact on the prices of the Domestic Industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression/depression and price underselling, if any. For the purpose of this analysis, the cost of sales, Net Sales Realization (NSR) and the NIP of the Domestic industry have been compared with the landed price of imports from subject countries.

Price Undercutting

55. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject countries with the NSR of the Domestic Industry in India.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
NCD	Rs/MT	***	***	***	***	
NSR	Index	100	100	115	108	
		China P	R			
Landed Price	Rs/MT	1,04,308.98	90,362.37	1,47,523.25	96,227.51	
	Rs/MT	***	***	***	***	
Price undercutting	%	***	***	***	***	
	Range	(20)-0	0-20	(40)-(20)	0-20	
		Thailan	d			
Landed Price	Rs/MT	84,281.13	1,13,574.87	99,898.68	84,476.97	
	Rs/MT	***	***	***	***	
Price undercutting	%	***	***	***	***	
	Range	0-20	(20)-0	0-20	0-20	
		Subject Cou	ntries			
Landed Price	Rs/MT	1,02,724.43	1,01,749.81	1,23,594.71	92,486.90	
	Rs/MT	***	***	***	***	
Price undercutting	%	***	***	***	***	
	Range	(20)-0	(20)-0	(20)-0	0-20	

56. It is seen from the table above that in the POI the landed price of imports from the subject countries and also from both China PR and Thailand individually was below the domestic selling prices.

Price Suppression / Depression

57. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Cost of Sales	Index	100	106	125	111
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Sennig Thee	Index	100	100	115	108
Landed Price from	Rs/MT	1,02,724	1,01,750	1,23,595	92,487
Subject Countries	Index	100	99	120	90
Landed Price from	Rs/MT	1,04,309	90,362	1,47,523	96,228
China PR	Index	100	87	141	92
Landed Price from	Rs/MT	84,281	1,13,575	99,899	84,477
Thailand	Index	100	135	119	100

58. Both the cost of sales and the selling price increased till 2018-19 and then dipped in the POI. Throughout the injury period, the cost of sales remained below the selling price. The landed price from the subject countries was higher than both the cost of sales and the selling price from 2016-17 to 2018-19. In the POI, the landed price from the subject countries was less than both the cost of sales and the selling price. Throughout the injury period, the cost of sales remained below the landed price from China PR. While in 2017-18, the cost of sales remained below the landed price from Thailand, in 2016-17, 2018-19 and the POI, the cost of sales was higher than the landed price of imports from Thailand. While in 2016-17 and 2018-19, the selling price remained lower than the landed prices from China PR, it was higher than the landed prices from China PR in 2017-18 and the POI. The selling price was lower than the landed price from Thailand in 2017-18, and higher in 2016-17, 2018-19 and the POI. However, the imports have not impacted the selling price of the domestic industry during the present period.

Price underselling

59. The Authority has also examined price underselling suffered by the Domestic Industry on account of dumped imports from the subject countries. It is noted that there has been price underselling on account of dumped imports from China PR and Thailand as shown in the table below:

Particulars	Unit	China PR	Thailand	Subject Countries
NIP	Rs./MT	***	***	***
Landed price of imports in POI	Rs./MT	96,228	84,477	92,487
	Rs./MT	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***
	Range%	0-20	0-20	0-20

H.3.4 Examination of economic parameters relating to the domestic industry

- 60. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital investments.
- 61. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below:

a) <u>Capacity, Production Capacity Utilization and Sales</u>

62. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period and notes as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Conosita	MT	***	***	***	***
Capacity	Index	100	106	106	106
Due des stien	MT	***	***	***	***
Production	Index	100	108	107	114
Capacity	%	***	***	***	***
Utilisation	Index	100	102	100	107
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Domestic Sales	Index	100	108	106	112

- 63. It is noted from the above table that:
 - i. The Domestic Industry has increased its capacity in 2017-18.
- ii. The production and sales of the Domestic Industry increased from the base year to 2017-18. Thereafter there was a decline in 2018-19 and an increase in the POI.
- iii. The capacity utilization remained more or less the same till 2018-19 and increased in the POI.

b) Market Share of Domestic Industry in Demand

64. The effects of the dumped imports on the market share of the Domestic Industry have been examined as below. It is noted that the market share of the Domestic Industry remained more or less at the same level in 2016-17 and 2017-18 and then declined in 2018-19 and the POI. The market share of imports was low throughout the period.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Domestic industry	Index	100	101	89	89
Captive Consumption of Domestic	%	***	***	***	***
Industry	Index	100	108	43	44
	%	***	***	***	***
Supporters & Other Producers	Index	100	100	107	107
Subject Countries	%	0.06	0.01	0.01	0.02
Subject Countries	Index	100	13	19	42
Other Countries	%	2.91	2.92	2.95	3.03
Other Countries	Index	100	100	101	104
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

c) Inventory

65. The Authority notes that the average inventory level of the Domestic Industry increased in 2017-18, and then remained more or less at the same level.

			2016-17	Unit	Particulars
	*** ***	***	**	MT	A vono do Invontorio
Average InventoryIndex100170	169 237	169	10	Index	Average inventory

d) Profits, Cash Profits and Return on Capital Employed

66. The performance of the Domestic Industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Domestic Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Cost of Domestic Sales	Index	100	106	125	111
Salling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Selling Price	Index	100	100	115	108
Drofit non unit	Rs/MT	***	***	***	***
Profit per unit	Index	100	44	14	74
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index	100	62	34	79
Profit hoforo Interest & Tay (DDIT)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Profit before Interest & Tax (PBIT)	Index	100	72	36	92
Potum on Canital Employed (PoCE)	%	***	***	***	***
Return on Capital Employed (RoCE)	Index	100	74	43	121

67. It is noted from the above table that profit per unit, cash profit, PBIT and return on capital employed followed a declining trend from 2016-17 to 2018-19 and further in 2018-19 and recovered in the POI.

e) Employment and Wages

68. It is seen from the table below that the number of employees increased in 2017-18 and thereafter there has been a decline in 2018-19 and further in the POI. Salaries and wages paid by the Domestic Industry remained more or less at the same level from the base year to 2018-19 and thereafter increased in the POI.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Employment	Nos	1,503	1,530	1,417	1,387
	Index	100	102	94	92
Salary and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index	100	100	100	106

f) Growth

69. The examination of growth parameters of the Domestic Industry during the injury period is shown below.

Growth	Unit	2017-18	2018-19	POI
Production	%	8.08	-1.43	6.85
Domestic Sales	%	7.91	-1.36	5.28
Capacity Utilization	%	1.43	(1.14)	5.37
Profit per unit	%	(55.72)	(69.13)	441.68
RoCE	%	(25.66)	(41.89)	181.0

70. It can be seen that the production, domestic sales and capacity utilization had a positive growth in the POI after dipping in 2018-19. Parameters such as Profit per Unit and RoCE had a negative growth in 2017-18 and 2018-19 and a positive one in the POI. The market share of the Domestic Industry had a negative growth in 2018-19 and in the POI.

g) Level of Dumping and Dumping Margin

71. The dumping margin in respect of both China PR and Thailand is not only more than *de-minimis* but also significant.

h) Factors affecting domestic prices

72. The domestic producers hold ***% of the market, while the market share of the imports is negligible. The negligible volume of imports has not impacted the prices of the domestic industry during the present period. However, the landed price of imports is below the selling price and cost of sales of the domestic industry.

i) Ability to raise fresh Investment

73. The Authority notes that the Domestic Industry has the ability to raise fresh investments.

H.3.5 Observations on injury:

- 74. Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that:
 - i. The volume of imports of the subject goods recorded a declining trend between 2016-17 and 2018-19, and then increased in the POI.
 - ii. Parameters like production and capacity utilization of the domestic industry have improved during the POI as compared to the previous year.
 - iii. Profitability parameters have improved in the POI as compared to the previous year.
 - iv. Dumping margin from both China PR and Thailand is positive and significant.

H.3.6 <u>Causal Link</u>

75. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. It was examined whether the following other factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a) Volume and price of imports from third country

76. The Authority notes that the volume of imports of the PUC from third countries at 99.40% in the POI is quite significant. The Authority also notes that the CIF price of imports from other countries is higher than that of the subject countries throughout the injury period. Further, the price of such imports is higher than the cost of sales and selling price of the Domestic Industry.

b) Export Performance of the domestic industry

77. The Authority notes that the Domestic Industry has exported the PUC in the injury period. The injury information examined hereinabove relates only to the performance in the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the Domestic Industry.

c) Captive Sales

78. The Authority notes that there is some captive sales as well of the Domestic Industry, which declined in the POI to almost half the level of the base year. The captive sales figures are miniscule and injury cannot be ascribed to them.

Particulars		Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic S	Sales	MT	***	***	***	***
Volume	Γ	Index	100	108	106	112
Captive Sales Volu	ume	MT	***	***	***	***
		Index	100	116	52	56

d) Developments in Technology

79. None of the interested parties has raised any issue with regard to development in technology as being the cause of injury to the Domestic Industry. The constituents of the Domestic Industry have submitted that they employ technology of contemporary standards in their plants.

e) Performance of other products of the company

80. The Authority notes that no submission has been made by any of the interested parties regarding the performance of other products being produced and sold by the domestic industry as a possible cause of injury to the Domestic Industry.

f) Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

81. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete with the landed prices of the subject goods. The price of the Domestic Industry is influenced substantially by the landed prices of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between foreign and domestic producers have undergone any change.

g) Contraction in Demand and changes in pattern of consumption:

82. The Authority notes the domestic sales of the Domestic Industry have been increasing, although there was a dip in 2018-19. The total demand in the country has steadily increased throughout the injury period. Therefore, contraction in demand cannot be a cause of injury. Further, the installed capacities in the country are reasonably higher than demand for the product in the country.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
	Index	100	108	106	112
Total Demand (Including	MT	***	***	***	***
Captive)	Index	100	107	120	126

ΤΗΕ GAZETTE	$OFINDIA \cdot$	EXTRAORDINARY
	OI INDIA.	LAINAONDINANI

h) Productivity of the domestic industry

83. The Authority notes that no submissions have been made by either the Domestic Industry or any of the interested parties regarding the injury to the Domestic Industry on account of productivity of the Domestic Industry. The information on record shows significant increase in productivity of the domestic industry over the injury period.

I. <u>LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY</u>

I.1 <u>Submissions made by the Domestic Industry</u>

- 84. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:
 - i. The most critical factor establishing likelihood of recurrence of dumping and injury is that the imports have almost ceased after the imposition of ADD.
 - ii. From the summary of the capacities of the foreign producers and their capacity utilization, it is evident that exporters in the subject counties have significant excess capacities. It may be noted that FDY constitutes about 40% of the production and consumption of PFY. If 40% of the excess capacities would be considered, it would be seen that China PR has surplus capacities to the extent of 28.54 lakh MT. Similarly, in case of Thailand, wherein FDY constitutes 35% of PFY, the exporters have surplus capacities of about 1.53 lakh MT. Clearly, the surplus capacities of the exporters are significant, to the tune of 30.07 lac MT, as against the demand in India of merely about 8.64 lacs MT.
 - iii. Further, producers in the subject countries are continuously adding capacities for the production of subject goods, as available in the Wood Mackenzie data.
 - iv. India is a major market for the exporters. This shows that if the ADD is not continued, exports to India from the subject countries are likely to increase.
 - v. Exporters from the subject countries are dumping in other countries. There is no reason why exporters would desist from dumping in India if the ADD is removed.
- vi. As can be seen from the prices of FDY and Partially Oriented Yarn (POY) published by CCF Group, from April, 2016 to March, 2018, there was a significant difference between the price of POY and FDY. This was primarily due to the fact that the cost of FDY is much higher than that of POY. However, in April, 2018 to March, 2019, FDY is being sold at about the same prices as POY. This shows that the producers in the subject countries are selling FDY even at extremely low prices.
- vii. Where dumping has continued, despite the imposition of ADD, there can be no doubt that the dumping of the subject goods is likely to continue in the event of expiry of ADD as well.
- viii. The landed price of imports is lower than the selling price of the Domestic Industry without ADD. Thus, consumers would immediately switch to imports.
- ix. Since the price of imports is below the cost of sales of the Domestic Industry, in the absence of ADD such imports are likely to cause significant injury to the Domestic Industry.
- x. The declining prices of FDY clearly indicate that the foreign product would be found more attractive in the Indian market.
- xi. In the event of cessation of ADD, the surplus capacities of the subject goods are likely to be exported to the Indian market.
- xii. Further, 97.95% of the exports from the subject countries to third countries are priced below the export price to India. Thus, in the event of expiry of ADD, such exports are likely to be diverted to the Indian market.
- xiii. If the third country exports from subject countries are diverted to India, in the absence of ADD, the same are likely to have a significant adverse impact on the Domestic Industry. In such a situation, the Domestic Industry would either have the option to reduce its prices to retain its customers, or to maintain its prices
- xiv. If the Domestic Industry opts to maintain its prices, the following consequences are likely to follow:
 - a. Imports are likely to increase by 4,35,330 MT, as lower priced exports to third countries are diverted to the Indian market.

- b. The Domestic Industry is likely to lose its market share, while the subject imports gain a market share of 48%.
- c. This is likely to result in a decline in sales of the Domestic Industry by 51%, and accordingly, its production and capacity utilization.
- d. From a level of 84%, the capacity utilization of the Domestic Industry is likely to decline to merely 46%.
- e. However, the reduced volume of production and capacity utilization is likely to push up the cost of sales of the Domestic Industry, while its price is likely to remain the same.
- f. In such a situation, the Domestic Industry is likely to suffer losses, reduced cash profits and negligible return on investment.
- xv. However, if the Domestic Industry reduces its prices to retain its customers, it is likely to face a decline of 62% in its profits, 39% in its cash profits and 51% in return on investment.
- xvi. As per Domestic Industry estimates, the gross investment in this product is in the region of Rs. 15,000 crores. However, if the ADD is withdrawn at this stage, the investments made by the domestic producers are likely to suffer significantly.
- xvii. The exporters of the PUC have also dumped the subject goods in third countries.
- xviii. The price of the subject goods is extremely low, resulting in positive price undercutting, dumping margin and injury margin.
 - xix. The export price has declined significantly.
 - xx. The imports are priced below the cost of sales and selling price of the Domestic Industry. Thus, in the event of cessation of ADD, the imports are likely to have a suppressing or depressing effect on the prices of the Domestic Industry.

I.2 Submissions made by other Interested Parties

- 85. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:
 - i. ADD imposed on imports of the subject goods must be discontinued as there is no likelihood of recurrence of injury to the domestic producers of the subject goods.
 - ii. The mere existence of surplus capacities is not sufficient to establish the likelihood of recurrence of injury.
 - iii. The export price of the subject goods from Thailand to other third countries was higher than the export price to India.
 - iv. The exporter from Thailand has no plans to expand its production capacity in the near future.
 - v. India is not a major export market for the foreign producers.
- vi. The Applicant has not disclosed either the source or the time period of the data on exports from subject countries to third countries.
- vii. The Applicant has not provided any support for the claim that imports are priced below the cost of production and there is likely price suppression or depression due to the cessation of ADD.
- viii. The exporter from Thailand has not exported the PUC to India in the post-POI period.
- ix. The exporter from Thailand is not indulging in dumping of the subject goods to third countries.
- x. The ADD has been in force for more than eleven years now. During this time the exporter from Thailand has already found its alternative markets for exporting the PUC and had made arrangements contractual or otherwise with the importers or users in those third countries. In the previous SSR for the same subject goods, an ADD of US\$ 57.78/MT was imposed on M/s Indorama Polyester Industries while for some of the other producers it was as high as USD 547/MT, even then the quantity of imports into India from M/s Indorama Polyester Industries has remained negligible. Thus, M/s Indorama Polyester Industries has no reason whatsoever or commercial incentive to shift its exports from third countries to India in the event of cessation of ADD on the subject goods. Further, M/s Indorama Polyester Industries are no longer manufacturing any grade of the subject goods at their primary production site in Nakhonpathom, Thailand and the company does not have any expansion plans in the future.

xi. The Applicants are trying to create confusion by comparing FDY with POY and PFY on various instances in its written submissions.

I.3 Examination by Authority

- 86. The present investigation is a sunset review of ADD imposed on the imports of subject goods from China PR and Thailand. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of the ADD is warranted. This also requires an examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose.
- 87. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia* for factors which may be taken into consideration viz.:
 - a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d) Inventories of the article being investigated.
- 88. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

i. <u>Imports in presence of Anti-Dumping Duty</u>

89. The import details in the subject investigation are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	Post-POI (A)
	MT	287.95	22.91	36.18	113.42	0
Imports from China PR	Index	100	8	13	39	-
	MT	24.74	22.07	36.53	52.97	0
Imports from Thailand	Index	100	89	148	214	-
Imports from Subject	MT	312.69	44.98	72.71	166.38	0
Countries	Index	100	14	23	53	-

90. The Applicant has emphasized that the imports have almost stopped after imposition of duties because the exporters are not able to market their products at fair prices. The Authority notes that based on the DGCI&S data the volume of imports from China PR is low during the injury period and the volume of imports from Thailand even lower. It is also noted that almost entire imports from Thailand are of off grade.

ii. <u>Price undercutting, price attractiveness and suppressing/depressing effect on the domestic</u> <u>industry</u>

- 91. The Authority notes that the landed price of imports from both China PR and Thailand is undercutting the domestic selling prices in the POI.
- 92. Further, the cost of sales has increased by 11% in the POI as compared to base year whereas the Applicant has been able to increase the selling price by 8% during the same period.
- 93. The Authority examined gross volume of exports from China and Thailand to various countries globally and the volume of exports below price for exports to India. It is noted that whereas 98.35 % of exports from China to rest of the world, amounting to 45% of Indian consumption, were at a price below export prices to India, only 91.29% of exports from Thailand to rest of the world, amounting to 3% of Indian consumption, were at a price below export prices to India. Therefore, in the event of expiry of duty, while the volume of imports that is likely to increase is quite significant in case of China, the volume is miniscule in case of Thailand. Further, the Chinese volume of imports that is likely to be shifted is likely to have a suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry.

Particulars	Unit	China PR	Thailand	Total
Indian demand	MT	9,06,788	9,06,788	9,06,788
Volume of exports to rest of world				
Gross volume	MT	4,18,903	25,551	4,44,454
Volume at prices below prices to India	MT	4,12,005	23,324	4,35,330
Share in total exports	%	98.35%	91.29%	97.95%
Share in Indian consumption	%	45%	3%	48%

iii. <u>Excess Inventories</u>

iv. Freely disposable Capacities with the foreign producers

95. The Authority notes that the Domestic Industry has relied upon Wood Mackenzie Report and the CCF group report to estimate that there are significant freely disposable production capacities with Chinese producers. The evidence produced by the domestic industry shows that the producers in China PR has surplus capacities as below.

Particulars	Unit	FDY
Capacity	Lacs MT	130.30
Demand	Lacs MT	92.01
Exportable surplus	Lacs MT	38.29
Production	Lacs MT	85.59
Capacity utilization	%	66%
Unutilized capacities	Lacs MT	44.71
Indian demand	Lacs MT	9.07
Unutilised capacities as % of Indian demand	%	492%

96. However, it is noted that there are not so significant surplus capacities in Thailand.

Particulars	UOM	Thailand
Total capacities for PFY	Lacs MT	4.62
Capacity utilization	%	82%
Production of the exporters	Lacs MT	3.79
Excess capacities for PFY	Lacs MT	0.82
Share of FDY in total PFY	%	35%
Excess capacities of FDY	Lacs MT	0.29
Indian demand	Lacs MT	9.07
Unutilized capacities as % of Indian demand	%	9.15%

v. Level of current and past dumping margin

97. The level of dumping margin in the original and previous SSR was significant. The dumping margin in the present investigation is also found to be positive and significant. However, whereas the dumping margin in case of Thailand has been found positive, it is seen that these are exports of off grade products. The domestic industry has not established significant dumping of regular grade FDY from Thailand. Thus, the volume of dumped imports is likely to increase only from China in the event of revocation of duty.

vi. <u>Post-POI Analysis</u>

98. The Authority has also conducted a Post-POI analysis for the purposes of determining likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The following is noted with regard to the same:

^{94.} None of the producers/exporters from either of the subject countries have filed exporter's questionnaire response, from where information about excess inventories in the subject countries can be gathered.

Particulars	Unit	2016-17	2017-2018	2018-19	POI	Post-POI (Annualised)
Import Volume-	MT	288	23	36	113	-
China PR	Index	100	8	13	39	-
Import Volume-	MT	25	22	37	53	-
Thailand	Index	100	89	148	214	-
Domestic Sales,	MT	***	***	***	***	***
excluding captive consumption	Index	100	108	106	112	54
Production of	MT	***	***	***	***	***
PUC by DI	Index	100	108	107	114	56
Capacity	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	106	106	106	106
Capacity	%	***	***	***	***	***
Utilization	Index	100	102	100	107	53
Export Sales	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	261	225	197	107
Captive Sales	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	116	52	56	72
Average	MT	***	***	***	***	***
Inventory	Index	100	170	169	170	252
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
	Index	100	106	125	111	111
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
	Index	100	100	115	108	104

99. In this regard, the Authority notes the following:

- i. In the post-POI period, there have been no imports of the PUC from either China PR or Thailand.
- ii. Both production and domestic sales reduced to less than half in the post-POI as compared to POI.
- iii. The capacity remained the same in the POI and the post-POI period.
- iv. The capacity utilisation too declined in the post-POI period, as compared to the POI period.
- v. The average inventory in the post-POI was double that in the POI.
- vi. While the cost of sales remained almost same in the POI period and the post-POI period, the selling price dropped in the post-POI, as compared to the POI period.
- vii. The post-POI period witnessed a world-wide pandemic and associated lockdowns which adversely affected production, demand and trade.

J. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

100. The NIP of the subject goods produced by the Domestic Industry when compared with the landed value of imports from China PR and Thailand shows positive injury margin during the POI. It is however seen that the injury margin in case of Thailand is in respect of off grade goods, and not for regular grade of FDY.

Subject	Producer	Exporter	NIP Landed Value		Injury Margin		in
Countries			Rs./MT	Rs./MT	Rs./MT	%	Range
China PR	All	All	***	96,228	***	***	0-20
Thailand	All	All	***	84,477	***	***	0-20

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

101. Post-disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

K.1 Submissions made by the Domestic Industry

- 102. The following submissions have been made by the Domestic Industry on the Disclosure Statement:
 - i. The Authority has observed that cumulative analysis is appropriate in the present situation, and accordingly, the same must be carried out for assessing the price effect.
 - ii. While there are significant imports from other countries, they have not caused injury to the Domestic Industry. Therefore, no injury can be attributed to other imports.
- iii. Captive consumption is not a listed parameter under the Rules. In any case, the quantity consumed captively is negligible, constituting only 0.9% of the total sales. Therefore, such meagre quantities cannot be considered as causing injury to the Domestic Industry.
- iv. There are no imports in the post-POI period. However, merely quantum of imports is not a factor for likelihood analysis. Rather, negligible imports after the imposition of ADD itself shows likelihood of imports.
- v. An adverse inference with regard to excess capacities should be drawn from the non-cooperation of producers / exporters.
- vi. The Authority has not recorded its own observations with regard to estimated surplus capacities. However, since the Authority has noted the Wood Mackenzie Report and CCF Group Report to estimate surplus capacities in its own examination, the Applicant believes that the Authority has also noted that the reports given show surplus capacities.
- vii. While there are no imports in the post POI period, the production, sales, capacity utilization and inventories of the Domestic Industry have suffered. Further, the selling price of the Domestic Industry has declined. However, the Applicant submits that the period considered by the Authority was impacted by COVID-19 and the ensuing lockdown imposed by the Government of India. Therefore, the parameters of the Domestic Industry were adversely impacted by other factors, not relevant to the present investigation.
- viii. It appears that the normal value has been determined based on the optimized cost of production of the Domestic Industry. It would be more realistic and reasonable to determine the normal value on the basis of weighted average cost of the Domestic Industry as a whole.
- ix. In case of Thailand, the consideration of optimized cost rewards producers for non-cooperation by allowing them lower normal value and dumping margin. On the contrary, the highest positive normal value should be considered in such a situation to induce cooperation with the Authority.
- x. The Applicant has reiterated its earlier submissions that China PR has surplus capacities to the extent of 30.07 lakhs, which is 332% of Indian demand, while Thailand has surplus capacities of 0.29 lakhs, estimated on the basis of reports of CCF Group and Wood Mackenzie Report.
- xi. Third country dumping, further capacity expansion by the producers in China PR and decline in price of FDY and the gap between FDY and POY, also show likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry, in the event of expiry of ADD.
- xii. None of the users have opposed continuation of the ADD in the present investigation.
- xiii. Other than the 26 producers of subject goods in India, there are certain other minor producers, accounting for about 1% of the total Indian capacity in total. The capacity in the country exceeds the present demand, thereby resulting in a price competition between the domestic producers. As a result, even with ADD in force, the domestic producers have not unduly increased their prices.
- xiv. An amount of Rs. 15,000 crores has been invested in the industry over the period, and the average age of the investment is 8 years. The industry has a turnover of Rs. 9,000 crores and provides employment to about 10,000 individuals directly and indirectly. The production of FDY is capital intensive in nature.

XV.	Considerable investment has also been made in the upstream PTA and MEG sector, totaling to about Rs. 36,000 crores. These products generate further employment for about 5,000 individuals, with a total output of about 73.7 lakh MT.
xvi.	The machines used in India are comparable to the best in the world, and can produce best quality yarn at most optimum utility consumption norms.
xvii.	While the industry has invested significantly to increase capacity, the operating rates have increased from 67% to 71% .
xviii.	The product and process innovation undertaken by the FDY industry has helped in the creation of better-quality products giving better value for money to both the downstream producers as well as end consumers. It has also helped in creating a better branding for Indian textile products in the global market.
xix.	The Indian FDY industry is a major contributor to the Aatmanirbhar Bharat initiative.
XX.	If ADD is withdrawn, it would provide a dumping ground to Chinese manufacturers, especially with the COVID-19 pandemic already impacting the global demand and thus destroy the FDY industry in the country.
xxi.	ADD is not a protection to the Domestic Industry, but only a means of price correction, to establish a level playing field and allowing the Indian industry an opportunity for fair competition.
xxii.	The producers in China PR enjoy an unfair advantage, as they are operating under non-market economy conditions and have access to raw materials, labour, capital and utilities, at lower costs. This allows them to export the product at lower prices, which the Indian industry is not able to compete with.
xxiii.	Continuation of ADD is very important for sustenance and new investments in domestic FDY industry. The withdrawal of ADD would benefit the downstream consumers by only 0.141% to 0.513%, but would reduce the Domestic Industry to a situation of no profit.
xxiv.	The normal value and the export price may be disclosed to the Domestic Industry, as the normal value is based on its own data and the export price is based on DGCI&S data.
XXV.	If the Domestic Industry is forced to compete with the landed price for China PR, then it would not be able to make adequate profits or earn reasonable return.
xxvi.	Negligible imports after the imposition of ADD, despite the existence of surplus capacities and price attractiveness of the Indian market, shows that the producers are not able to find a market for their goods due to the addition of ADD in force.
K.2	Submissions made by other Interested Parties
103.	The submissions of other interested parties on the Disclosure Statement are reproduced herein below:
i.	The Authority has not taken on record the submission of Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Thailand dated 29 th October, 2020 that they are no longer manufacturing any grade of the subject goods at their primary production site in Nakhonpathom, Thailand and further, that Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Thailand does not have any expansion plans in the future. Therefore, the present review may be terminated against them.
ii.	The percentage of total production of the petitioning domestic producers has not been disclosed, although it is a consistent practice of the Authority to disclose the standing of not only the applicants but also of the supporters and other producers.
iii.	There is no legal provision that in the SSR investigation, the standing of the Domestic Industry is not necessary to be ascertained. It is a mandatory legal requirement in terms of Rule 2(b) of the Rules as well as a consistent practice of the Authority to not only ascertain the standing of the petitioners but also to disclose the proportion considered by the Authority as major proportion for the purposes of the standing.
iv.	The Authority has also not disclosed as to why various reports relied upon by the Authority such as Wood Mackenzie Report, CCF Group report and Trademap report have not been disclosed to the M/s Indorama Polyester Industries.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

70

- v. The Authority has not stated in the Disclosure Statement as to what is the best information available with the Authority on the basis of which it has determined the normal value.
- vi. Economic parameters of the Domestic Industry have shown improvement. If any economic factor has not shown increasing trend then that is because the Domestic Industry had increased its capacity in 2017-2018, which has led to finance costs and high depreciation costs. Domestic Industry is able to command the price and is not at all being affected by the minuscule imports from the subject countries. Inventory is a function of production and demand and the Domestic Industry's increased inventory only shows a healthy trend of stocking the subject goods for the purpose of sales.
- vii. The Authority cannot rely on existence of injury margin to determine that there is material injury.
- viii. The volume of imports is not only negligible in the POI, it is nil from Thailand in the post-POI period and thus there exists no likelihood of recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry due to imports of the subject goods from Thailand.
- ix. Imports from Thailand are merely around 53 MT which is approximately 0.005% of the total demand in India. Thus, the Authority must terminate the present review investigation against Thailand.
- x. Imports from Thailand are not entering India at prices that have a significant depressing or suppressing effect and neither is there any likelihood that such imports would, in the future, enter India at suppressed or depressed prices. The Authority must note that the injury suffered by the Domestic Industry, if any, is entirely attributable to significant volumes of imports from other countries which have 99.40% share in total imports and further, the prices at which such imports are entering the Indian market is also significantly low.
- xi. During the post-POI period, the Government of India had imposed nation-wide lockdown due to COVID-19 pandemic. It is obvious that capacity utilisation, production and sales of the petitioning companies would be adversely affected in such a period.

K.3 Examination by Authority

- 104. The post-disclosure comments/submissions made by the interested parties for the first time and considered relevant by the Authority have been examined as under:
 - i. Price underselling and injury margin have been found for both subject countries. It is however seen that the injury margin in case of Thailand is in respect of off grade of subject goods, not for its regular grade.
 - ii. The post-POI period considered includes the period of COVID-19 pandemic and associated lockdowns and therefore analysis for the post-POI period is influenced by other factors.
- iii. The evidence on record shows that there is low volume of dumped imports of the subject goods in absolute terms and in relation to production and consumption in India. While the imports were undercutting the prices of the Domestic Industry during the POI, the Domestic Industry did not suffer any suppressing / depressing effect on the domestic selling prices. The overall performance of the Domestic Industry has improved and the Domestic Industry has not suffered injury during the POI. However, it is seen that there is a likelihood of dumping and consequent injury to the Domestic Industry, if the duties against China PR expire. The dumping of the subject goods in China PR has continued. There are significant surplus capacities for the subject goods in China PR. India is also a price attractive market for the exports from China PR, and significant quantities may be diverted to the Indian market in the event of expiry of ADD. The volume of imports during the POI is low only due to the anti-dumping duties in force. It is also seen that the landed price of imports from China PR is below the selling price of the Domestic Industry. If the anti-dumping duties are removed, such imports are likely to have a suppressing or depressing effect on the prices of the Domestic Industry.
- iv. The Authority notes that the imports of the subject goods from Thailand increased around 1.5 times in the POI, as compared to the previous year, 2018-19, but have remained low. While there is dumping of the subject goods from Thailand, the exports are of only off grade products. Further, the evidence produced by the Applicant does not show significant surplus capacities in Thailand, and the total volume of exports from Thailand is also low. Therefore, the Authority does not find likelihood of injury to the domestic industry even if the duties against Thailand are allowed to expire.

- v. None of the users have opposed continuation of the ADD in the present investigation. The domestic industry has provided calculations showing impact of withdrawal of ADD on the consumers, assuming that the domestic industry is forced to reduce the prices to the level of cost of production (i.e., the domestic industry sells at no profit-no loss basis). It has been shown that the benefit of withdrawal of ADD to the consumers will be merely in the region of 0.141% 0.513% even in such a situation.
- vi. With regard to the situation of the industry in India, the domestic industry has submitted that there are more than 26 producers of the subject goods in the country, which together generate a turnover of Rs. 9,000 crores and provide employment to about 10,000 individuals directly and indirectly. The Domestic Industry, while arguing that continuation of ADD is vital for viability of the present investments and for encouraging fresh investments in the FDY industry, has highlighted that Chinese producers have created massive capacities, enjoy unfair advantages, are operating under non-market economy conditions and have access to inputs at lower costs, which allows them to export the product at lower prices.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

- 105. The Authority notes that the purpose of ADD, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 106. It is recognized that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

M. <u>CONCLUSION</u>

- 107. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry, the Authority concludes that:
 - a. There is continued dumping of the subject goods from the subject countries.
 - b. The performance of the Domestic Industry has improved and it has not suffered injury during the present period.
 - c. The information on record shows likelihood of continuation/ recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry, in case the ADD in force is allowed to cease against imports from China PR. The information on record does not show likelihood of injury, in case the ADD in force is allowed to cease against imports from Thailand.

N. <u>RECOMMENDATIONS</u>

- 108. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
- 109. Having concluded that there is likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury if the existing ADD against imports from China PR are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of ADD is required on the imports of the product under consideration from China PR. However, continuation of ADD is not recommended on the imports of the product from Thailand.
- 110. Under these circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of ADD on the imports of subject goods from China PR. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive ADD equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the goods mentioned at Col. 3 of the table below from China PR.

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5402	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (nontextured and non POY)*	China PR	Any country including China PR	Any	547	MT	US\$
2	- do -	All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (nontextured and non POY)*	Any country other than China PR	China PR	Any	547	MT	US\$

DUTY TABLE

Note - Customs classification is only indicative, and the determination of ADD shall be made as per the description of the PUC. The PUC mentioned above should be subject to ADD even when it is imported under any other HS code.

*excluding FDY with a low melting point, i.e. between 110°C to 170°C.

O. <u>FURTHER PROCEDURE</u>

111. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority